कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

26/11 का मुंबई हमला अभी लोग भूले भी नहीं थे कि गत 13 जुलाई 2011 की शाम मुंबई में आतंकवादियों ने शृंखलाबद्ध तीन बम विस्फोट कर खूनी मंजर खेला।

फिर दहली मुंबई
एक रिपोर्ट.. 7

भाजपा अध्यक्ष का लंदन प्रवास
नितिन गडकरी ने किया ब्रिटिश निवेशकों से आह्वान................... 10

लेख
लोकपाल विधेयक : उतार-चढ़ाव भरा इतिहास
&ykyÑ".k vkMok.kh... 19
क्या न्यायालय विचारधारा के अनुपालन को बाध्य कर सकते है
&v#.k tVyh... 21
राज्यों के भरोसे योजनाएं
&olq/kjk jkts.. 24

अन्य
उ.प्र. : भाजपा ने राष्ट्रपति को सौंपा आरोप-पत्र.......................... 14
2जी घोटाला : भाजपा ने सीबीआई निदेशक को भेजा पत्र........... 17
भाबरा (म.प्र.) : ''आजाद मेला'' आयोजित... 28
दो दिवसीय भाजपा उड़ीसा प्रदेश कार्यसमिति बैठक : कटक........ 29
दो दिवसीय गुजरात प्रदेश कार्यसमिति की बैठक : वडोदरा........... 30

संपादक के नाम पत्र

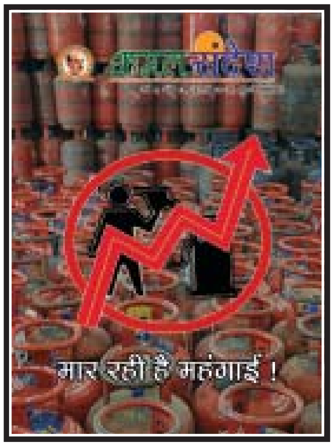

राष्ट्रीय विधि आयोगः समय की मांग

vknj.kh; l\ikn egkn;]

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा गत 15 मई 2011 को अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ''राष्ट्रीय विधि आयोग'' के गठन का सुझाव सर्वथा समय की मांग है। न्यायपालिका के प्रति विश्वसनीयता में आ रही कमी को दूर किये जाने हेतु यह अति आवश्यक है कि उन कारणों का पता लगाया जाए जो आमजन में न्यायालयों के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न करते हैं। विधि समाज परिवर्तन हेतु एक सशक्त माध्यम है। एक सकारात्मक चिंतन एवं विधिक पहल से समाज में व्याप्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधि आयोग, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचलित विधियों के दुष्प्रभावों को शीघ्र पहचानकर उनमें संशोधन हेतु अनुशंसामय प्रमाण कर सकता है। ऐसा करने से विधि के माध्यम से समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को सच्चे अर्थों में न्याय की प्राप्ति होगी और न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ेगी।

& i\dt okèkokuh

,Mokd\V ,o\ fofèk 0;k[;krk

व्यंग्य चित्र

साभार : रा. पत्रिका

साभार : नई दुनिया

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेलः
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक कोई प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

मुम्बई आतंकी हमला
संप्रग की मंशा एवं क्षमता पर एक प्रश्नचिन्ह

मुम्बई एक बार फिर से आतंकी हमलों का निशाना बना। तीन बम धमाकों जिनमें 25 व्यक्ति मारे गये तथा सैंकड़ों घायल हुए, ने पूरे देश को झकझोर दिया है। भारत आहत है, दुखी है और गुस्से में भी है। परन्तु इससे भी अधिक यह बात लोगों को अधिक कचोट रही है कि उन्हें स्वयं उसके सरकार द्वारा ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। यह वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन हमलों के शिकार लोगों के चेहरे, धमाकों के चीथड़ों से पटे सड़क तथा खून से लथपथ लाशों के हृदयविदारक दृश्य भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य नहीं कर पा रही। यह किस तरह की राजनीति इस देश में की जा रही है? आखिर क्यों कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार इन घटनाओं को तरजीह नहीं देना चाहती तथा यह कहने से भी नहीं हिचकती कि आतंकी हमलों को रोकना सरकार के बूते की बाहर की बात है। कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी का वह गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों को रोकना असंभव है, कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता की कमी को ही दर्शाता है तथा सरकार की मंशा और क्षमता पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। क्या यह सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि इसके लिए निरपराध लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं?

पोटा जैसे आतंक विरोधी कानून को निरस्त करने में संप्रग सरकार ने जैसी 'जल्दबाजी' दिखाई थी वैसी शीघ्रता आतंक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने में अब तक नहीं दिखा पाई है। लगातार आतंकी हमलों के बावजूद संप्रग ने 'अर्थपूर्ण चुप्पी' साधे रखी है तथा शर्मनाक ढंग से सरकार के निकम्मेपन का बचाव भी करती रही हैं। इसने आतंकवाद के समर्थकों तथा पैरोकारों को भी खुली छूट दे रखी है। 26/11 के मुम्बई पर आतंकी हमलों के दबाव में सरकार कुछ कदम उठाती दिखी थी परन्तु अब ये सभी कदम महज दिखावे के लिए खोखले दावे साबित हुए हैं। खुफिया तंत्र की विफलता का जो तर्क बार–बार दिया जाता है उसके ठीक विपरीत आतंकी हमले सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है जो अभी तक आतंकवाद से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखा पाई है। यह ठीक ही कहा जा रहा है कि सरकार सांप्रदायिकता विरोधी कानून को लेकर तो उत्साह दिखा रही है परन्तु आतंकवाद विरोधी कानून का दूर–दूर तक पता नहीं। ऐसी मानसिकता घटिया राजनीति का परिचायक है। वोट–बैंक राजनीति ने पूरी तरह से कांग्रेस की आंखों पर पट्टी बांध रखी है।

वोट बैंक राजनीति के लिए कांग्रेस किस हद तक नीचे गिर सकती है इसका अंदाजा इसके महासचिव दिग्विजय सिंह के बे सिर–पैर के बयान से लगाया जा सकता है। ऐसे समय में जब पूरा देश शोक में डूबा एवं आहत था, घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा था तथा आतंकी हमलों में मारे गये लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, कांग्रेस संकीर्ण राजनीति का सहारा ले रही थी। अभी जबकि आंसू भी नहीं सूखे थे दिग्विजय सिंह ने बेबुनियाद आरोप लगा हमलों की जिम्मेदारी आरएसएस पर डालनी चाही। ऐसा उन्होंने तब किया जब देश की खुफिया एजेंसियां अपनी छानबीन में आइएसआई समर्थित आंतकी गुटों के इन हमलों में हाथ होने का इशारा कर रहे थे। देश का ध्यान बंटाने तथा लोगों को दिग्भ्रमित करने के अपने 'फॉर्मूले' को ध्यान में रखकर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर लांछन लगा घटिया राजनीतिक चालबाजी की, जिसकी पूरे देश में निंदा हुई। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य उन्होंने मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने वाले भाजयुमो कार्यकर्ता पर घातक हमला करवा कर किया। ऐसे कृत्य कांग्रेस के लोकतंत्र

विरोधी चेहरे को सामने लाते हैं जो इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं एवं मर्यादाओं को ताक पर रखकर देश पर एक खानदान के अधिनायकवाद को थोपना चाहती है।

देश कांग्रेस से जवाब मांग रहा है। घोर भ्रष्टाचार एवं बढ़ती महंगाई में पीस रही जनता का जीवन कठिन हो गया है। आतंकवाद के बादल पहले से भी अधिक भयावह ढंग से देश पर मंडरा रहे हैं। भ्रष्टाचार एवं महंगाई पर कुछ न करने की कसम खा चुकी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार अब तक आतंकवाद के विरूद्ध भी कुछ भी नहीं कर पाई है। फांसी की सजा सुनाये जाने के बावजूद कसाब और अफजल गुरू जैसे आतंकवादी जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। इससे देश में निराशा बढ़ी है। आतंकवाद से लड़ने के लिए ना तो कोई रणनीति है, न ही योजना, न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति और न ही अब तक कोई कार्रवाई के संकेत ही मिले हैं। सरकार ने पूरी तरह से देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आतंकवाद के विरूद्ध वैचारिक संघर्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने कंधों पर लेनी होगी। पूरे देश में जन–जागरूकता के लिए अभियान चलाना होगा ताकि वह 'विचार' तथा 'लोग' जो आतंकवाद का समर्थन कर इसे मजबूती देते हैं, उसके विरूद्ध जनमत बने तथा इस कुचक्र का पर्दाफाश हो सके। इस अभियान से कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार पर भी आतंकवाद के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का दबाव बनेगा। ■

''राष्ट्रवाद, सुशासन एवं विकास'' का लोकार्पण 25 सितम्बर को

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास ने निम्नलिखित विषय पर कमल संदेश विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

^^jk"Vokn] lq'kklu ,oa fodkl**

एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस 25 सितम्बर 2011 को इस विशेषांक के साथ ^^vtkr'k=q** के अंग्रेजी संस्करण का भी विमोचन होना तय हुआ है।

आपको स्मरण होगा कि हर वर्ष कमल संदेश विशेषांक का प्रकाशन होता है जिनमें vR;kn;] 21oha lnh&Hkkjr dh lnh] pqukfr;ka] lek/kku] ladYi ,oa fodYi उल्लेखनीय हैं। ये सभी विशेषांक शोधपरक एवं विशिष्ट लेखों के लिए चर्चित रहे हैं तथा पाठकों द्वारा सराहे गये हैं। ■

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुशल संगठक श्री कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती 15 अगस्त पर उन्हें कमल संदेश परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 अगस्त 1922–28 दिसम्बर 2003

आतंकी हमलों से फिर दहली मुंबई

dey lan'k C;jk

26/11 का मुंबई हमला अभी लोग भूले भी नहीं थे कि गत 13 जुलाई 2011 की शाम मुंबई में आतंकवादियों ने श्रृंखलाबद्ध तीन बम विस्फोट कर खूनी मंजर खेला। इस आतंकी हमले में 25 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हो गए। जावेरी बाजार, दादर तथा चरनी रोड के ओपरा हाउस में हुए विस्फोट के बाद वीभत्स एवं ह्दयविदारक दृश्य था। चारों ओर अफरा–तफरी का माहौल। खून से लथपथ सड़कें। क्षत विक्षत फैले मानव अंग। बिलखती आवाजें। लेकिन फिर भी कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार निष्क्रिय बैठी है। ऐसा लगता है कि मानो सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है।

मुंबई पुलिस के प्रवक्ता निसार तांबोली ने कहा कि पहला विस्फोट दक्षिण मुंबई के जावेरी बाजार की शकील मेमन गली में हुआ जो प्रसिद्ध मुंबादेवी मंदिर के पास है। इसमें कम से कम 25 लोग घायल हो गये। इस बाजार में आभूषणों की कई दुकानें हैं। करीब 25 लोग ओपरा हाउस के पास डायमंड मार्केट के नजदीक हुए विस्फोट में जख्मी हो गये। यह इलाका भी दक्षिण मुंबई में है। मध्य मुंबई के दादर वेस्ट में कबूतरखाना इलाके में हुए विस्फोट में तीन लोग घायल हो गये।

मुंबई में आतंकवादी हमलों के बाद सत्ताधारी दल कांग्रेस को जहां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की पहल करनी चाहिए तो वहीं उसके नेतागण लाशों पर राजनीति करने में जुट गए। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने गैरजिम्मेदाराना बयान देते हुए भारत की तुलना अफगानिस्तान से कर दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और इराक में तो ऐसे हमले रोज हुआ करते

देश में हुई आतंकी घटनाओं की लंबी है सूची

2011

13 tqykbZ 2011 % मुम्बई में आतंकवादी विस्फोट में 25 लोगों की मृत्यु और 100 से अधिक घायल।

2010

7 fnlacj 2010% ये धमाके वाराणसी में गंगा नदी के शीतला घाट पर हुए थे। इसमें दो साल की एक बच्ची की जान चली गई थी और 25 लोग जख्मी हुए थे।:

14 vDVwcj 2010 % उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हल्के बम विस्फोट में कम–से–कम पांच लोग घायल।

13 Qjojh]2010% पुणे के मशहूर जर्मन बेकरी को निशाना बनाया गया, इस धमाके में 17 लोग मारे गए, जबकि 60 से अधिक लोग जख्मी हुए।

2009

6 vçSy 2009 % गुवाहाटी में एक कार में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत और 32 लोग घायल।

2008

26&29 uoEcj 2008 % भारत के इतिहास में इसे सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। मुम्बई में आतंकवादी हमले में 166 भारतीय और विदेशी नागरिकों की मौत और करीब 250 लोग जख्मी हुए थे।

30 vDVwcj 2008 % गुवाहाटी में आतंकवादी हमले में 77 लोगों की मौत और 300 लोग घायल।

21 vä๋Vwcj 2008 % इम्फाल में मणिपुर पुलिस कमांडो कम्पलेक्स के करीब हुए ज़ोरदार धमाके में 17 मारे गए।

29 flrEcj 2008 % महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट में आठ लोगों की मौत और 80 लोग

हैं। अब भारत में हर आतंकी हमले को रोकना आसान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार को दोष देना ठीक नहीं होगा। खुफिया एजेंसियों और पुलिस के लिए यह संभव नहीं है कि वो सभी हमलों को नाकाम कर दे। एक प्रतिशत हमले तो हो ही सकते हैं। ऐसी बातें करके राहुल गांधी ने मृतकों और घायलों के परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाए उन पर नमक छिड़कने का काम किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने आतंकवादी हमलों को लेकर भारत की तुलना इराक और अफगानिस्तान से कर दी, लेकिन अमेरिका से हमारी तुलना क्यों नहीं हो सकती, जिसने 9/11 के हमलों के बाद अपने सुरक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर लिया कि करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी वहां एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। वहीं मृतकों के अंतिम संस्कार भी सम्पन्न नहीं हुए थे कि कांग्रेस के एक और महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि मुंबई विस्फोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका से इनकार

मुंबई हमले के विरोध में प्रदर्शन

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी, मानवाधिकार प्रकोष्ठ द्वारा गत 15 जुलाई को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जाजू तथा मानवाधिकार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुधीर अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए तथा हमले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले हमारे खुफिया तंत्र की विफलता को दर्शाते हैं। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

घायल।

29 flrcj 2008 ¼ मोडासा, गुजरात में एक मस्जिद के निकट मोटरसाइकिल में रखे कम तीव्रता वाले बम के फटने से एक व्यक्ति की मौत और अन्य घायल।

13 flrEcj 2008 ¼ दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके में 30 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल।

26 tqykbZ 2008 ¼ अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाके में 57 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल।

25 tqykbZ 2008 ¼ बेंगलुरू में नौ धमाके में एक व्यक्ति की मौत और 12 लोग घायल।

13 ebZ 2008 ¼ जयपुर में 12 मिनट के भीतर हुए आठ धमाके में 68 लोगों की मौत और 150 से अधिक लोग घायल।

tuojh 2008 ¼ रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर हुए आतंकवादी हमले में आठ लोगों की मौत।

2007

11 vDVwcj 2007 ¼ रमजान के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में हुए धमाके में तीन की मौत और 28 लोग घायल।

25 vxLr 2007 ¼ हैदराबाद में आतंकवादी विस्फोट में 32 की मौत और 60 लोग घायल।

18 ebZ 2007 ¼ हैदराबाद में मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में 14 लोगों की मौत।

19 Qjojh 2007 ¼ भारत से पाकिस्तान जा रही एक रेलगाड़ी में दो बम धमाके के बाद कम से कम 66 लोग झुलस कर मरे। मरने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक।

2006

8 flrEcj 2006 ¼ महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद में हुए दो बम धमाकों में 30 लोगों की मौत और 100 लोग घायल।

11 जुलाई 2006 : मुम्बई में रेलगाड़ी में सात बम धमाकों में 200 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल।

2005

vDVwcj 2005 ¼ दीपावली से एक दिन पहले नई दिल्ली के बाजारों में तीन बम विस्फोटों में 62 व्यक्तियों की मौत व 100 घायल।

मार्च 2006 : वाराणसी रेलवे स्टेशन और मंदिर में हुए दोहरे बम धमाकों में 20 व्यक्तियों की मौत। ■

नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास अन्य आतंकी गतिविधियों में संघ की संलिप्तता के सबूत हैं। यहां सवाल उठता है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वे क्यों नहीं जांच एजेंसियों को उपलब्ध करा देते हैं? बिना किसी सबूत के राष्ट्रवादी संगठनों पर इस तरह के आरोप लगाना घटिया मानसिकता का परिचायक है और इससे साफ परिलक्षित होता है कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं?

केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कश्मीर स्थित आतंकवादी ढांचों को ध्वस्त करें। आतंकवाद विरोधी कानून पोटा लागू करे। अफजल गुरू और अजमल कसाब को सजा देकर आतंकवाद पर प्रहार करे। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरणस्थली है। इसलिए जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकी ढांचे को नष्ट नहीं करता, तब तक उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ■

मुंबई बम विस्फोट नीति की विफलता है : आडवाणी

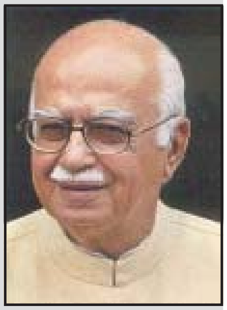

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने मुम्बई में 13 जुलाई को हुए विस्फोटों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह केवल खुफिया तंत्र की विफलता नहीं है। उन्होंने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन को पाकिस्तान से समर्थन मिलने की आशंका भी जताई।

गत 14 जुलाई को मुम्बई में विस्फोट स्थलों का दौरा करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में श्री आडवाणी ने कहा, 'यह नीति की विफलता है, न कि खुफिया तंत्र की विफलता। मुम्बई पर बार–बार हमले होते रहे हैं, यह नीति की विफलता है।' उन्होंने कहा, 'मैं घटना की निंदा करता हूं। साथ ही सरकार से अपील करता हूं कि आतंकवाद के प्रति कठोरतम रुख अपनाए।'

भाजपा नेता ने कहा कि 'आईएसआई' को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और जब तक पाकिस्तन की ओर से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया जाताए उसके साथ वार्ता बंद कर देनी चाहिए। ■

आतंकवाद पर केन्द्र का रवैया निराशाजनक : अनुराग ठाकुर

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जहां अपनी सरकार की जिम्मेदारी निभाने की बजाय सहयोगी दल रा0कां0पा0 को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहें हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तो इस घटना को साम्प्रदायिक जामा पहनाकर देश की एकता–अखंडता पर चोट कर रहे हैं। दुःख की बात यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिग्विजय पर न लगाम कस पा रहे हैं और ना ही महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना पा रहे हैं। कांग्रेस और केन्द्र का यह रवैया निराशाजनक है। ■

मुम्बई विस्फोट- एक कायराना हरकत : गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुम्बई में हुए कायराना विस्फोटों पर दुख प्रगट करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं। हमें इन विस्फोटों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम मृतकों के प्रति अपना हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार एक के बाद एक हो रहे विस्फोटों पर मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त न करके इन विषयों पर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रगट करेगी और कारगर निवारक उपाए करेगी। यह विस्फोट इस बात का स्मरण कराते हैं कि अफजल गुरु जैसे मामले अंतिम कार्रवाई के लिए लम्बित पड़े हुए हैं और सरकार को पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। ■

नितिन गडकरी ने किया ब्रिटिश निवेशकों से भाजपा शासित राज्यों में निवेश का आह्वान

gekjs laoknnkrk }kjk

Hkk जपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के विषय पर अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आज जितनी तेजी से विश्व दृश्यावली बदलती जा रही है उसमें भारत नई आर्थिक विश्व व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने तथा विश्व सुधारों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

श्री गडकरी ओवरसीज फ्रैण्ड्स आफ बीजेपी कंवेशन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे।

18 जुलाई को लंदन में इण्डो–ब्रिटिश आल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप और हाउस आफ कॉमंस में इण्डो–यूरोपियन बिजनेस फोरम को सम्बोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार (1998–2004) ने कई क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया को क्रियान्वित किया था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, विनिवेश, दूरसंचार, विद्युत, सड़कें तथा शिक्षा के क्षेत्र भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से सत्ता में लौटने पर और भी आगे सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गडकरी ने कहा कि विकास की तेज गति, अनुकूल जनसांख्यिकी (विशाल युवा जनसंख्या) और बढ़ती अतिरिक्त आय तथा विशाल घरेलू बाजार होने के कारण भारत विश्व में सर्वाधिक निवेश का स्थान बन गया है।

उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन टेक्नालॉजी क्षेत्र, गैर–परम्परागत ऊर्जा, रक्षा, दक्ष विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर इन संभावनाओं से लाभ उठा सकते हैं।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि आज बदलती विश्व व्यवस्था में भारत और ब्रिटेन इस विस्तृत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाकर निर्धन देशों में आर्थिक सहयोग के अगले स्तर तक ले जाने की संभावना तलाश सकते हैं।

श्री गडकरी ने कहा कि मेरी पार्टी को फख्र है कि भारतीय मूल के 20 लाख लोग ब्रिटेन के विकास और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि हाउस आफ कॉमंस में सात सदस्य तथा हाउस आफ लार्ड्स में 24 सदस्य भारतीय मूल के निवासी हैं और वे एक तरह से ब्रिटिश लोकतंत्र में अपना योगदान दे रहे हैं।

इस बैठक का आयोजन ईलिंग–साउथ आल की प्रचुर मात्रा वाली भारतीय मूल के निर्वाचन क्षेत्र से हाउस आफ कॉमंस के लेबर सदस्य श्री वीरेन्द्र शर्मा ने आयोजित की थी तथा इसकी अध्यक्षता लार्ड पॉल ने की।

ग्रुप के अनेक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए (जिसमें हाउस आफ कामंस और हाउस आफ लार्ड्स के अनेक सदस्य शामिल थे) श्री गडकरी ने कहा कि मेरी पार्टी का उदारवादी आर्थिक दृष्टिकोण है और हम विकास की राजनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तथा विशेष रूप ग्रामीण विकास, कृषि, जल प्रबंधन, सिंचाई और विद्युत क्षेत्र पर अधिक बल देना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा–शासित सभी राज्य बहुत अच्छे ढंग से शासन चला रहे हैं, जिसमें गुजरात की विकास दर 14 प्रतिशत तक जा पहुंची है, जबकि भारतीय राज्यों की औसत विकास दर 2.80 प्रतिशत है।

भाजपा प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता में विश्वास रखती है और हमारी पार्टी द्वारा शासित राज्य ऐसी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जिससे किसानों का भाग्य चमके, निर्धनता दूर हो, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता बढ़े और विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक जोर दिया जाए।

उन्होंने पर्यटन, स्वास्थ्य, सिंचाई, जल प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भाजपा–शासित राज्यों में निवेश का आमंत्रण दिया और विश्वास दिलाया कि इसके लिए राज्यों में परिस्थितियां अनुकूल हैं।

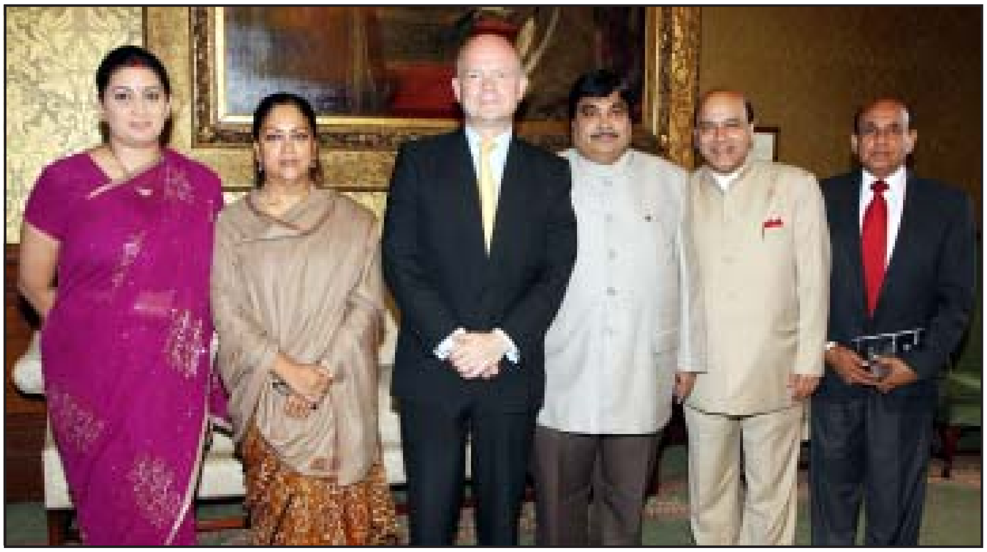

विचार–विमर्श का समापन करते हुए लार्ड पॉल ने कहा कि ब्रिटेन भारत की उभरती अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को स्वीकार करता है और हम चाहते हैं कि हम भाजपा की आर्थिक नीतियों को समझें जो भारत की प्रमुख पार्टी है, जिसने वाजपेयी सरकार के शासनकाल में बहुत से सुधारों का कार्यान्वित किया था।

श्री गडकरी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के आदिवासी क्षेत्रों की हस्तशिल्प कृतियां लार्ड पॉल और श्री वीरेन्द्र शर्मा को भेंट कीं। श्री शर्मा ने श्री गडकरी और उनके शिष्टमण्डल के सम्मान में वेस्टमिनिस्टर में लंच का आयोजन किया।

इण्डो–ब्रिटिश आल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप और इण्डो–ब्रिटिश बिजनेस फोरम की बैठक में हाउस आफ कॉमंस में मुम्बई में हुए हाल के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई।

इन दोनों समारोहों में जिन प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया उनमें लार्ड स्पीकर बेरोनेस हाईमेन, लार्ड करण बिलीमोरिया, लार्ड ग्रेविल जेनर, लार्ड ढोल्किया, लार्ड गुलाम नून, बेरोनेस सेण्डी वर्मा, बेरी गार्डिनर, स्टीवन पाउण्ड्स, बॉब ब्लैकमेन, डॉ. हाइवेल फ्रांसिस (सभी हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्य), श्री कंवलजीत सिंह बख्शी (न्यूजीलैण्ड के एमपी) और भारतीय मूल के और अनेक व्यापारी सदस्य तथा उद्योगकर्ता शामिल थे।

ब्रिटिश पार्लियामेंट की अपनी यात्रा के दौरान श्री गडकरी ने कीथ वॉज, प्रीति पटेल (दोनों ही भारतीय मूल के सदस्य) और बेरोनेस लेदर, लार्ड मीकू भाई पारेख और लार्ड पोपट से मुलाकात की।

गडकरी का यूके में तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम में भाषण

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग का समर्थन किया और इस बारे में आश्वासन दिया कि मेरी पार्टी अगले आम चुनावों में सत्ता में वापसी पर इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षाओं को अवश्य पूरा करेगी।

भाजपा सदैव ही छोटे राज्यों के पक्ष में रही है और वह पहली राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी थी जिसने सत्ता में आने पर अलग तेलंगाना राज्य सम्बन्धी

प्रस्ताव पारित किया था। यह बात श्री गडकरी ने 18 जुलाई को लंदन में उस समय कही जब वे यहां तेलंगाना डेवलेपमेंट फोरम, यूके की एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर आंध्र प्रदेश में संकट पैदा करने का आरोप लगाया, जहां इस क्षेत्र से विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के विधायकों ने, जिसमें स्वयं सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं, अपनी इस न्याय संगत और उचित मांग के समर्थन में त्यागपत्र दे दिए हैं।

श्री गडकरी ने तेलंगाना–समर्थक कार्यकताओं को आश्वस्त किया कि केन्द्र में सत्ता में आने पर भाजपा प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं पूरा करेगी और कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के बेहतर जल प्रबंधन के लिए नदी जोड़ो कार्यक्रम को हाथ में लेगी।

श्री गडकरी ने जोरदार तालियों की गडगडाहट के बीच कहा कि "हम तेलंगाना के लिए समानुपातिक जल का प्रबंधन करेंगे और कृषि तथा सिंचाई में सुधार लाकर राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनायेंगे।

उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तेलंगाना की चहुंमुखी प्रगति तथा विकास के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार कर रही है।

इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष और सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के समर्थकों में बेहद असंतोष और मोहभंग फैलता जा रहा है जब हम देखते हैं कि इस आंदोलन का श्रीगणेश उस समय शुरू हो गया था जब उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने 40 वर्ष पूर्व तेलंगाना के लोगों के प्रति सरकारी नौकरियों में भेदभाव करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

इस अवसर पर अन्य भाषणकर्ताओं में ओवरसीज फ्रैण्ड्स आफ बीजेपी के संयोजक श्री विजय जौली तथा सह–संयोजक श्री अमित ठाकर के साथ–साथ तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम, यूके के कई नेता शामिल थे।

भाजपा अध्यक्ष और उनके शिष्टमंडल ने स्वामीनारायण मंदिर, एक गुरूद्वारे तथा एक सनातन धर्म मंदिर की यात्रा भी की।

गडकरी की ब्रिटिश विदेश सचिव से भेंट

श्री गडकरी ने भारत में 'रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नालाजी' में और अधिक निवेश करने की इच्छा प्रगट की।

20 जुलाई को श्री नितिन गडकरी ने ब्रिटिश और यूरोपीयन यूनियन को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो–एनर्जी–बायो–फ्यूल आदि जैसे ग्रीन टेक्नालॉजी तथा नान–कंवेशनल एनर्जी क्षेत्रों में भाजपा–शासित राज्यों में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

यूके की अपनी छह दिन की यात्रा पर श्री गडकरी ने ब्रिटिश विदेश सचिव विलियम हेग से बातचीत की और इण्डो–ब्रिटिश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने की संभावनाओं पर विचार–विमर्श किया।

श्री हेग ने श्री गडकरी को बताया कि यूरोपीयन यूनियन देशों के पास इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ और टेक्नालॉजियां उपलब्ध हैं और हम भारत के साथ इनका उपयोग करना चाहेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक सम्बन्ध बहुत मजबूत हैं और डेविड केमरान सरकार इन विशेष सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश कम्पनियों को प्रोत्साहित करती रहेगी।

श्री हेग ने कहा कि ब्रिटेन भारत से चाहेगा कि वह खुदरा बाजार, बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों को मुक्त कर दे और यदि कुछ बाधाएं हैं तो हटा ले जिससे भारत में ब्रिटिश निवेश का विस्तार हो।

श्री गडकरी ने खुदरा बाजार और

बीमा क्षेत्रों के मुक्त होने की भाजपा नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन विषयों पर पार्टी में आर्थिक नीति निर्माण पर बहस चल रही है ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों पर एक आम सहमति तैयार की जा सके।

श्री गडकरी ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कुछ क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का अनुसरण किया था और भाजपा अगले आम चुनावों में केन्द्र में सत्ता में लौटने पर इन्हीं नीतियों को और आगे बढ़ाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में नौ भाजपा–शासित राज्य ग्रामीण विकास, सिंचाई और जल–प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। जिन अन्य क्षेत्रों पर ये भाजपा शासित राज्य विशेष ध्यान दे रहे हैं, वे हैं– इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और विशेष रूप से विद्युत उत्पादन तथा सड़क विकास। सत्ता में आने पर भाजपा आर एंड डी, विज्ञान और टेक्नालॉजी, उच्च विनिर्माण, गैर–परम्परागत ऊर्जा, रक्षा, दक्ष विकास और शिक्षा क्षेत्रों में और अधिक इण्डो–ब्रिटिश सहयोग को बढ़ावा देगी।

ब्रिटिश विदेश सचिव ने भारतीय कम्पनियों को ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन देशों में जबरदस्त निवेश की संभावनाओं होने की बात कही और एक दूसरे के साथ सूचनाएं आदान–प्रदान करने के साथ ही साथ अनुकूल वातावरण तैयार करने के अपने प्रयासों को अधिक तेज करने का आश्वासन भी दिया।

उन्होंने श्री गडकरी को बताया कि भारत अभी भी यूके में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है और ब्रिटेन में अनेकों भारतीय कम्पनियां काम कर रही हैं तथा और भी कम्पनियों का स्वागत होगा।

30 मिनट की बैठक के दौरान श्री गडकरी के साथ पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष व सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी, ओवरसीज फ्रैण्ड्स आफ बीजेपी के संयोजक श्री विजय जौली, सह–संयोजक श्री अमित ठाकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार श्री अशोक टण्डन भी शामिल थे।

इण्डो-ब्रिटिश सहयोग

21 जुलाई लंदन में प्रेस्टिजियस एशिया हाउस में रात्रि भोज के सवाल–जवाब सत्र के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी से लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स के पूर्व निवेशक लार्ड मेघनाथ देसाई के एक प्रश्न के उत्तर में कहा– ''निर्धन ब्रिटेन को एक समृद्ध भारत को क्यों आर्थिक सहायता देनी चाहिए?

इस बात को देखते हुए कि यह अप्रत्याशित प्रश्न आज कल ब्रिटेन में चल रही बहस के बारे में उनकी राय जानने के लिए किया जा रहा है कि आज जब ब्रिटेश में आर्थिक गति धीमी है तो सरकार को भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश को उसके विकास के लिए सहायता क्यों न बंद कर देनी चाहिए?

ब्रिटेन अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भारतीय राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं और पिछड़े क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा में सुधार लाने के लिए लगभग चार मिलियन पौंड की सहायता देता है।

श्री गडकरी ने लार्ड देसाई को बताया कि ब्रिटिश सहायता भारत के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद करती है। इससे दोनों देशों के बीच सम्बन्ध मजबूत होते हैं।

परन्तु ब्रिटेन की कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए यदि ब्रिटिश सरकार इस सहायता को वापस लेना चाहती है तो इस पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा।

उन्होंने लार्ड देसाई से इस बात पर सहमति प्रगट की कि भारत इस स्थिति में है कि वह अपनी समस्याओं को स्वयं देखभाल कर सकता है और भारत के राज्य बिना ब्रिटिश सहायता के भी अपने विकास कार्य जारी रख सकते हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मेरी पार्टी कृषि, सिंचाई, जल–प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों और इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे ग्रामीण सड़क निर्माण) जैसे क्षेत्रों में इण्डो–ब्रिटिश सहयोग चाहती है और ब्रिटिश कम्पनियों से पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भाजपा–शासित राज्यों में निवेश के लिए आमंत्रण देती है।

श्री गडकरी ने घोषणा की कि मैंने भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य श्री राजेश शाह तथा विभिन्न आर्थिक प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को अधिकृत किया है कि वे सम्बन्धित ब्रिटिश व्यक्तियों तथा कम्पनियों के साथ भाजपा शासित राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के समन्वय का कार्य देखें।

रात्रि भोज में अनेकों ब्रिटिश उद्योगपति, व्यापारी, लार्ड्स और लीगल एक्सपर्ट उपस्थित थे। इससे पूर्व दिन में श्री गडकरी ने यूके वाईसीसी द्वारा आयोजित 'क्लाइमेंट चेंज' विषय पर आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी स्टूडेण्ड्स के साथ आपस में विचार–विमर्श का सत्र रखा। उन्होंने यूके इण्डिया बिजनेस कौंसिल (यूके आईबीसी) को भी सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने दक्षता प्रबंधन और लघु और मध्यम उद्यमों में इण्डो–ब्रिटिश सहयोग की संभावनाएं तलाशने की बात कही। यूके आईबीसी ने भाजपा शासित राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त उद्यम लगाने के बारे में भारत को शिष्टमण्डल भेजने पर गहरी रूचि दिखाई। ■

भ्रष्ट और अराजक बसपा सरकार के खिलाफ भाजपा ने राष्ट्रपति को सौंपा आरोप-पत्र

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 जुलाई, 2011 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से भेंट करके उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के घोटालों को लेकर आरोप–पत्र सौंपा और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस आरोप–पत्र में कहा गया है कि मायावती शासन में 2 लाख 54 हजार करोड़ के एक सौ से अधिक घोटाले हुए हैं। हम यहां इस आरोप–पत्र का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:–

egkefge Jherh ifrHkk ikfVy]
Hkkjr dh ekuuh; jk"Vªifr]
jk"Vªifr Hkou]
नई दिल्ली

fo"k; % ek;korh ljdkj ds ?kksVkyks ds fo:) vkjksi&i=

महामहिम,

मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूर्ण, स्पष्ट एवं असंदिग्ध जनादेश दिया था।

आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उत्तर प्रदेश के लोग अपने आपको मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रशासन आम लोगों की कठिनाइयों के प्रति पूर्णतया उदासीन हो गया है जबकि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी विकास कार्यों के लिए निर्धारित करोड़ों रूपयों का घपला करने में व्यस्त हैं।

1. 2,54,000 करोड़ रूपए के 100 घोटाले
2. भ्रष्टाचार में आपराधिकता
3. सरकारी अधिकारियों की हत्याएं और उनके द्वारा आत्महत्या
4. छात्राओं और युवा महिलाओं के साथ बलात्कार और उनके जीवन को खतरा

5. उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार
6. लोकायुक्तों द्वारा मंत्रियों की कटु आलोचना
7. उच्चतम न्यायालय सहित न्यायपालिका द्वारा कटु आलोचना, प्रतिकूल टिप्पणियां और कड़ी कार्यवाही किए जाने की सिफारिशें
8. किसानों की खराब हो रही स्थिति
9. शक्ति का दुरूपयोग, सस्ती दरों पर सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर किसानों से भूमि खरीदना तथा उसे बड़े बिल्डरों को सौंपना
10. आम आदमी को धमकाये जाने सहित भ्रष्ट कार्यों के लिए पुलिस सहित सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग

उत्तर प्रदेश में विद्यमान स्थिति को एक वाक्य में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि यह 'भय, भूख और भ्रष्टाचार पूर्ण है'।

भाजपा ने गत दो महीनों में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का पर्दाफाश किया हैः

1. 40,000 करोड़ का नोएडा महाघोटाला
2. नोएडा फार्म हाउस घोटाला
3. मायावती के 100 घोटाले – प्राथमिकी
4. प्राथमिकी का दस्तावेजी प्रमाण
5. उत्तर प्रदेश चीनी मिल घोटाला
6. "मायावती" एक संक्षिप्त डाक्युमेंटरी/सीडी

- मायावती–बहुजन समाज पार्टी शासनकाल के गत 4 वर्षों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है।
- गत कुछ वर्षों में सीएमओ की हत्याएं
- भ्रष्टाचार, जो पहले प्रतिशत के रूप में होता था, अब मायावती – बहुजन समाज पार्टी शासन के 4 वर्षों में ''लूट'' बन गया है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार और उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के बीच एक प्रतिस्पर्धा है – वह भ्रष्टाचार और लूट की प्रतिस्पर्धा है।
- सरकारी कर प्रणाली में एक नई शब्दावली निकाली गई है – "माया टैक्स"
- नीचे से लेकर ऊपर तक प्रत्येक लेन–देन (अर्थात् गरीब रोजगार योजना, बाल पुष्ट आहार, विधवा और वृद्ध पेंशन, निम्नतम स्तर पर भू–आवंटन योजनाएं और उच्चतम स्तर पर ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों को भूमि आवंटन की योजनाएं – सभी में कुछ प्रतिशत की कटौती की जाती है। हर प्रकार के लेन–देन में "माया कमीशन" के रूप में कुछ धन राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- सरकारी प्रणाली एटीएम मशीन के रूप में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर टीम और गरीब लोगों को इस एटीएम मशीन को ऐसे टेलीफोन बूथ के रूप में फंड उपलब्ध कराते हैं जहां पर सिक्का डालने पर ही प्रत्युत्तर मिलता है। यह सरकारी प्रणाली और शासित लोगों दोनों का मजाक है।

9 जुलाई को हमने 40,000 करोड़ रूपए के नोएडा घोटाले का दस्तावेजी सबूत पेश किया था।

- 60,000 करोड़ रूपए की जमीन बिल्डरों को सिर्फ 19,490 करोड़ रूपए में औने–पौने दाम बेची गई।
- 16 प्राइम प्लांट 10 चुनिंदा बिल्डरों को सौंपे गए।
- मारिशस जैसे टैक्स हैवन्स से निवेश प्राप्त हुआ प्रतीत होता है।
- नोएडा घोटाले में शामिल 13 कंपनियों में से 8 कंपनियां 2010 और 2011 के बीच केवल 1 लाख रूपए की पूंजी से निगमित की गई।
- एम्स सान्या डेवलपर्स प्रा.लि. 06.05.2010 को निगमित किया गया था, परन्तु सौदे को 26.03.2010 को अन्तिम रूप दिया गया था।

नोएडा फार्म हाउस घोटाला

- 2010 में नोएडा प्राधिकरण/मायावती सरकार ने योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिए किसानों से भूमि

अर्जित की थी।

- उन्हें 880 रूपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से भुगतान किया गया था।
- भूमि फार्म हाऊसेस के लिए "बड़े" लोगों को 2010–11 में उपहार में दे दी गई थी।
- बाजार मूल्य 15,000 रूपए प्रति वर्ग मीटर है।

भाजपा ने मायावती के 2,54,000 रूपए के 100 घोटालों के बारे में प्राथमिकी 7 अप्रैल, 2011 को लखनऊ में रिलीज की थी। पद–दलितों, कमजोर वर्ग के लोगों से व्यापारियों में से किसी को नहीं बख्शा गया।

वर्तमान स्थिति को घोटाले के रूप में वर्णित किया जा सकता है

	djkM :i;k e
जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण और उसे चुनिंदा कॉरपोरेट को उपहार में देना	40,000
नोएडा में बहुमूल्य सरकारी भूमि को चुनिंदा बिल्डरों को उपहार में देना	1,00,000
हजारों–करोड़ों रुपए के मूल्य वाली चीनी मिलों को मामूली दरों पर बिक्री/उसका दिया जाना	25,000
विद्युत परियोजनाओं का शर्मनाक तरीके से दिया जाना, जिसके परिणामस्वरूप आम ग्राहक और राज्य के राजकोष को हजारों–करोड़ों रूपयों की हानि हुई	20,000
आगरा विद्युत वितरण फ्रैंचाइज का हजारों–करोड़ों रुपए की परिसम्पत्तियों सहित टोरेंट पावर को दिया जाना	25,000
लेनल सैंड, क्योरीस्टोन माइन्स गैर–पारदर्शी, तरीके और हेरा–फेरी करके लीज में दी गई	15,000
अवैध कर, हफ्ता, जिसे अब माया टैक्स के रूप में जाना जाता है :	
शराब की प्रत्येक दुकान पर 5–10 रूपए प्रति पेग/बोतल की दर से माया टैक्स वसूला जाता है	10,000
शराब के लाइसेंसों से लेकर सड़क निर्माण ठेकों, आदि तक सभी ठेके चुनिंदा ठेकेदारों को दिए जाते हैं, जिनसे सरकार को हजारों–करोड़ों रुपए की हानि होती है	10,000
स्मारक के लिए पत्थरों में हजारों–करोड़ों रुपए का घोटाला।	
स्मारक में एक विचित्र प्रकार की लूट बहुजन समाज पार्टी के शासन में देखी जा सकती है	5,000
वृद्ध एवं विधवा विकलांग पेंशन घोटाले में सत्ता के दलालों/सत्तारूढ़ पार्टी के वृद्ध लोगों और विकलांगों को दी जाने वाली मामूली पेंशन में हिस्सा शामिल है	2,000
सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के गरीब लाभार्थियों को भी कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे कि कांशीराम आवास योजना, बाल पुष्ट आहार योजना, सम्पूर्ण शिक्षा अभियान, शौचालय येाजना, काम के बदले अनाज, सफाई कामगार भर्ती योजना	2,000
कुल	2]54]000

एक दर्जन बड़े घोटालों में 2,54,000 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

आम आदमी का सामान्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। लोग भयग्रस्त हैं। यदि ऐसा चलता रहा, तो समूची प्रणाली ढह जाएगी। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास टूट जाएगा।

एतद् द्वारा हम "मायावती सरकार के घोटालों सम्बन्धी आरोप–पत्र" को आपके पास इस अनुरोध से प्रस्तुत करते है–

- उचित जांच की जाए।
- उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार रोका जाए।
- आम आदमी और ईमानदार सरकारी अधिकारियों के जीवन की रक्षा की जाए।
- घोटालेबाजों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए और उनसे सरकारी/जनता के पैसे को वसूल किया जाए।
- दोषियों को दंडित किया जाए।

■

2जी घोटाले में तत्कालीन वित्तमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं?

2जी घोटाले के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 जुलाई 2011 को सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखा। इस पत्र में पार्टी ने कहा है कि सीबीआई जांच अधिकार गण सही तथा समुचित जांच के लिए तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम से पूछताछ करें। हम यहां पत्र का हिन्दी भावांतरण प्रकाशित कर रहे हैं :–

महोदय,

1. सीबीआई इतिहास के सबसे बड़े घोटाले अर्थात् 2जी घोटाले की जांच कर रही है और उसने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। इस पत्र के माध्यम से हम 2जी घोटाले के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि इस घोटाले में न केवल दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हाथ था बल्कि वित्त मंत्रालय भी इस घोटाले के लिए उतना ही जिम्मेदार था।
2. लगता है कि इस समय सीबीआई 2जी घोटाले पर वित्त मंत्रालय की भूमिका तथा तत्कालीन वित्त मंत्रालय की भूमिका पर छानबीन कर रही है। नीचे दी गई सूचना से पता चलता है कि कि तत्कालीन वित्तमंत्री भी 2जी घोटाले के बारे में उतने ही जिम्मेदार थे।
3. प्रथम दृष्टया 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की बोली के दौरान पैसे के गबन का मामला है जिससे 2जी घोटाला बना है। देखा गया है कि 2जी लाइसेंसों को वर्ष 2008 में औने–पौने दामों में प्राइवेट टेलीकॉम कम्पनियों को जारी कर दिया गया। सीएजी ने बताया है कि इन लाइसेंसों को जारी करते हुए नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया, जिसके कारण सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। सम्बन्धित कम्पनियों के शेयरों की पुनः विक्रय की प्रक्रिया तत्कालीन वित्त मंत्रालय की सहमति से हुई। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण जांच का मामला है जिस पर आज तक जांच नहीं हुई है।
4. 24.2.2011 को राज्यसभा को अपने सम्बोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा थाः ''स्पेक्ट्रम की कीमतों के बारे में सरकार की नीति 2003 के केबिनेट निर्णय के आधार पर ली गई थी जिसमें विशेष रूप से इस विषय के निर्धारण का वित्त मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय पर छोड़ दिया गया था।'' प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा है कि ''रिकार्ड से साफ पता चलता है कि तत्कालीन मंत्री का प्रारम्भ में अलग दृष्टिकोण रहा था। उन्होंने 15 जनवरी 2008 को मेरे पास भेज दिया था, बाद में दूरसंचार मंत्री से परामर्श किया और दोनों मंत्रियों ने स्पेक्ट्रम प्रभारों के बारे में फार्मूला तैयार किया, जिसे 4 जुलाई 2008 की बैठक में मुझे बताया गया था।''

   प्रधानमंत्री के भाषण से साफ साबित होता है कि तत्कालीन वित्तमंत्री को स्पेक्ट्रम के आवंटन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और सीबीआई को उनसे भी पूछताछ अवश्य करनी चाहिए।
5. 2003 में केबिनेट ने निर्णय लिया कि स्पेक्ट्रम की कीमतों और आवंटन को वित्त तथा दूरसंचार विभाग के बीच परामर्श से तय किया जाएगा। स्पष्ट है कि 2जी के लाइसेंसों को जारी करने के मामले में जो भी निर्णय लिए गए, वे सभी दूरसंचार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से परामर्श करके लिए गए थे, इसलिए ऐसी किसी भी निर्णय के लिए दोनों मंत्रालय (अर्थात् तत्कालीन मंत्रीगण) उतने ही जिम्मेदार हैं।
6. तत्कालीन दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा जेल में हैं और उन्हें औपचारिक रूप से 2जी

लाइसेंस और बेशकीमती स्पेक्ट्रम जारी करने में हजारों–करोड़ों रूपए की लूट और भ्रष्टाचार के षड्यंत्र में चार्जशीट किया गया है किन्तु यह देख कर हैरानी होती है कि क्यों सीबीआई ने किन्हीं अज्ञात कारणवश श्री पी. चिदम्बरम की भूमिका की जांच नहीं की है जो उस समय वित्त मंत्री थे और जिन्होंने इस पूरे विशाल भ्रष्टाचार के मामले में कोई कम भूमिका नहीं निभाई। भारत सरकार के स्पष्ट निर्णय के बाद भी श्री पी. चिदम्बरम ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए बार–बार सुझावों की अनदेखी की जिसमें इन अधिकारियों ने कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती संसाधन हैं, जिसका निर्धारण एक समुचित बाजार व्यवस्था और बोली लगा कर किया जाना चाहिए था। समझा जाता है कि दूरसंचार विभाग और तत्कालीन वित्त मंत्री के बीच 30.1.2008, 29.5.2008, 12.6.2008 की कई बैठकें हुईं, जिनमें इस पूरे विषय पर चर्चा हुई थी। मीडिया रिपोर्टों से लगता है कि इन दोनों मंत्रियों के बीच की बैठकों की कोई लिखित कार्यवृत्त नहीं है जबकि यह एक अत्यंत गम्भीर और संवेदनशील स्पेक्ट्रम मुद्दा था जिससे सरकार को करोड़ों रूपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

तत्कालीन वित्तमंत्री के खिलाफ संशय और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम देखते हैं कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों की अनदेखी कर दी जिनमें इन अधिकारियों ने स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए बोली लगाने की सिफारिश की थी और इस प्रकार इनका आवंटन 10.10.2008 को सभी नियमों का उल्लंघन किया गया जबकि तत्कालीन वित्तमंत्री के रूप में श्री चिदम्बरम ने स्पेक्ट्रम के बारे में स्थिति अपना ली कि स्पेक्ट्रम के आवंटन को अब समाप्त अध्याय समझा जाए। हमारा विश्वास है कि ये सभी रिकार्ड के मामले हैं और किसी भी निष्पक्ष जांच से श्री चिदम्बरम की भी उतनी ही सहभागिता सामने आ जाएगी।

7. इसमें जरा भी शक नहीं कि तत्कालीन वित्त मंत्री को स्पेक्ट्रम के आवंटन की पूरी जानकारी और सहमति थी और यदि इसमें कोई गलती हुई थी तो तत्कालीन वित्तमंत्री को उसे रोकना चाहिए था किन्तु तत्कालीन मंत्री ने ऐसा नहीं किया, बल्कि स्पेक्ट्रम के आवंटन की अवैध प्रक्रिया में शामिल हुए जिसके कारण भारत सरकार को विशाल धनराशि से हाथ धोना पड़ा।
8. 15.11.2008 की कार्यालय नोटिंग में (जिसका पता आरटीआई एक्ट से मिला) साफ कहा है कि श्री ए. राजा ने तत्कालीन वित्तमंत्री को लाइसेंसों की बिक्री तथा पैसा लेकर सेकेंड पार्टी को प्रमोटरों द्वारा इन्हें बेचने के बारे में पत्र भेजा था, परन्तु तत्कालीन मंत्री ने स्पष्ट किया था कि ये कम्पनियां कार्पोरेट नियमों के अनुसार काम कर रही है।

स्पष्ट है कि वित्त मंत्री ने इस सारी प्रक्रिया पर अपनी सहमति दी, जिससे यह घोटाला हुआ, किन्तु जानकारी होने के बावजूद भी तत्कालीन वित्त मंत्री ने घोटाले को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए बल्कि उन्होंने अपने कार्यों तथा गलतियों से इस घोटाले को परवान चढ़ाया।

सीबीआई ने नीरा राडिया और श्री राजा के बीच की टेलीफोन पर बातचीत की भी जांच की है; इस बातचीत में तत्कालीन वित्तमंत्री की भूमिका भी सामने आती है तथा न्याय के हित में इस रिकार्डिंग की जांच एफएसएल लेबोरेट्री से कराई जानी चाहिए तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी की राय प्राप्त करना भी आवश्यक है।

सीबीआई को शिवराज पटेल कमेटी तथा पीएसी कमेटी की विषयसूची तथा सामग्री की जांच करनी चाहिए क्योंकि इन दोनों कमेटियों की रिपोर्टों में दिए गए तथ्य जांच के प्रयोजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनसे वास्तविक अपराधियों का पता लगाने में जांच एजेंसी को बड़ी मदद मिल सकती है।

यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि आम लोगों में यह शक भी गम्भीर रूप से फैलता है कि यह जांच केवल डीएमके पार्टी नेताओं तक ही सीमित है और जो कांग्रेस के नेता है, उनके बारे में न केवल कोई जांच हो रही है बल्कि जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ तक नहीं कर रही है।

इन परिस्थितियों में, जांच अधिकारीगण मामले की जांच करें और सही तथा समुचित जांच के लिए तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम से पूछताछ करें।

(प्रकाश जावडेकर)	(जगत प्रसाद नड्डा)	(भूपेन्द्र यादव)	(शिवकुमार सी उडासी)	(श्रीमती माया सिंह)
प्रवक्ता, भाजपा	महासचिव, भाजपा	सचिव, भाजपा	सांसद, भाजपा	सांसद, भाजपा

लोकपाल विधेयक : उतार-चढ़ाव भरा इतिहास

ykyÑ".k vkMok.kh

Hkk रतीय संसद के इतिहास में, किसी अन्य विधेयक का इतिहास इतना उतार–चढ़ाव वाला नहीं रहा जितना कि लोकपाल विधेयक का है।

लोकपाल शब्द, स्वीडन के अम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है जिसका अर्थ है 'जिससे शिकायत की जा सकती हो।' अतः अम्बुड्समैन वह अधिकारी है जिसकी नियुक्ति प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने हेतु की जाती है।

सन् 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया था। जिसके अध्यक्ष मोरारजी भाई देसाई थे। इसी आयोग ने लोकपाल गठित करने हेतु कानून बनाने का सुझाव दिया था।

वर्तमान लोकसभा पंद्रहवीं लोकसभा है। इस किस्म का पहला विधेयक 43 वर्ष पूर्व चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तब इसे लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1968 के रुप में वर्णित किया गया था।

विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया और समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को लोकसभा ने पारित किया। लेकिन जब विधेयक राज्यसभा में लम्बित था, तभी लोकसभा भंग हो गई और इसलिए विधेयक रद्द हो गया।

पांचवीं लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार फिर इस इस विधेयक को प्रस्तुत किया। 6 वर्षों की लम्बी अवधि में यह–'विचार किये जाने वाले' विधेयकों की श्रेणी में पड़ा रहा। सन् 1977 में लोकसभा भंग हो गई और विधेयक भी रद्द हो गया।

1977 में मोरारजी भाई की सरकार में यह विधेयक लोकपाल विधेयक, 1977 के रुप में प्रस्तुत किया गया। विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा गया जिसने जुलाई, 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

जब विधेयक को लोकसभा में विचारार्थ लाना था तब लोकसभा स्थगित हो गई और बाद में भंग। अतः यह विधेयक भी समाप्त हो गया।

1980 में गठित सातवीं लोकसभा में ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया गया।

1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब लोकपाल विधेयक नए सिरे से प्रस्तुत किया गया । इसे पुनः संयुक्त समिति को सौंप दिया गया। उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता था।

शुरू में ही मैंने बताया कि दो संयुक्त समितियां पहले ही गहराई से इस विधेयक का परीक्षण कर चुकी हैं। इस व्यापक काम को फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समिति ने अपने हिसाब से इसे नहीं माना।

तीन वर्षों तक समिति ने शिमला से त्रिवेन्द्रम और पंजिम से पोर्ट ब्लयेर तक पूरे देश का दौरा किया । वास्तव में समिति ने 23 विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा किया।

समिति का कार्यकाल कम से कम आठ बार बढाया गया और इसकी समाप्ति 15 नवम्बर, 1988 को तत्कालीन गृहराज्य मंत्री श्री चिदम्बरम ने समिति को सूचित किया कि सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है।

संयुक्त समिति में विपक्ष के सभी सदस्यों – पी. उपेन्द्र, अलादी अरुणा, के0पी0 उन्नीकृष्णन, जयपाल रेड्डी, सी0 माधव रेड्डी, जेनईल अबेदीन, इन्द्रजीत गुप्त, वीरेन्द्र वर्मा और मेरे हस्ताक्षरों से युक्त एक 'असहमति नोट' संयुक्त रुप से प्रस्तुत किया गया, हमने उसमें दर्ज किया :

आजतक लोकपाल विधेयक के अनेक प्रारुप प्रस्तुत किए जा चुके हैं, 1985 वाला विधेयक विषय वस्तु में नीरस और दायरे मे सर्वाधिक सीमितता से भरा है। अतः जब सरकार ने इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया तो हम आशान्वित हुए कि सरकार इस विधेयक की अनेक कमजोरियों को सुधारने के लिए खुले रुप से तैयार है।

हम, बहुमत के इस विचार कि विधेयक को वापस ले लिया जाए से कड़ी असहमति व्यक्त करते हैं। जिसके चलते संयुक्त समिति की तीन वर्षों की लम्बी मेहनत व्यर्थ मे खर्चीली कार्रवाई सिद्ध होगी। शुरुआत से ही हम इस विचार के थे कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह अपर्याप्त है। सरकार हमसे सहमत नहीं थी और उसके बाद उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। और अब, तीन वर्षों के बाद, शायद यह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह न केवल अपर्याप्त है, अपितु यह इतना खराब भी है कि इसे सुधारा भी नहीं जा सकता।

विधेयक की वर्तमान विसंगतियों के बावजूद लोकपाल से, मंत्रियों की ईमानदारी की जांच करने वाले के रुप में आशा की जाती है। पिछले दो वर्षों में, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार सार्वजनिक बहसों का जोशीला मुद्दा बन चुका है। राज्यों में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के

कामकाज का अध्ययन करके हमें पता चला कि अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं: हमारा यह दृढ़ मत है कि प्रधानमंत्री का पद भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए।

यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि इस मुद्दे पर लोगों की चिंताओं और हमारी मांग के औचित्य की सराहना करने के बजाय सरकार का रुख इस विधेयक को ही तारपीडो करना तथा इसे वापस लेने की ओर बढ़ने वाला है, अतः संयुक्त समिति को जनता की नजरों में गिराना है। उच्च पदों पर बैठे लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते सरकार की घबराहट को दर्शाता है तथा एक ऐसी संस्था का गठन करने से कतराने को भी जो उसके लिए चिंता का कारण बन सकती है। सरकार द्वारा अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए के भौंडे सरकारी प्रयासों का हम समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए यह असहमति वाला नोट प्रस्तुत है।

1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भाजपा और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन से बनी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने।

1989 में इस सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयक में स्वाभाविक रुप से 1988 के संयुक्त असहमति नोट में दर्ज गैर– कांग्रेसी विचारों की अभिव्यक्ति देखने को मिली और प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में लाया गया।

तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयकों में भी प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री के रुप में अटलजी इस पर अडिग थे कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे के बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

नीचे एक तालिका दी जा रही है जिसमें दर्शाया गया है कि 1968 से प्रस्तुत सम्बन्धित विधेयकों में से किन–किन में प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया और किन–किन से

foèk; d	çèkkue=h nk; j ë
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1968	नहीं
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1974	नहीं
लोकपाल विधेयक 1977	नहीं
लोकपाल विधेयक 1985	नहीं
लोकपाल विधेयक 1989	हां
लोकपाल विधेयक 1996	हां
लोकपाल विधेयक 1998	हां
लोकपाल विधेयक 2001	हां

बाहर:

टेलपीस (पश्च लेख)

कोई भी आसानी से शर्त लगा सकता है और जीत भी सकता है, यहां तक कि कॉलेज क्विज में भी अधिकांश विद्यार्थी देश के नियंत्रक और महालेखाकार का नाम नहीं बता पाएंगे।

वैसे सी.ए.जी. श्री विनोद राय हैं 11 जुलाई, 2011 की 'आऊटलुक' पत्रिका के आवरण पर विनोद राय का चित्र है और साथ में मोटी सुर्खियों में लिखा है: दि मैन हू रॉक्ड दि यूपीए (वह व्यक्ति जिसने यूपीए को हिला दिया)। उपशीर्षक कहता है: प्रत्येक विशालकाय घोटाले जिसने मनमोहन सिंह के शासन के लिए भूकम्प ला दिया है– सीडब्ल्यूजी, टू जी या केजी बेसिन सबके पीछे शांत और निर्णायक हाथ भारत के नियंत्रक और महालेखाकार का है।

पोस्ट स्क्रिप्ट

चालीस वर्षों से मैं संसद में हूं और सरकार द्वारा बुलाई गई अनगिनत सर्वदलीय बैठकों में भाग ले चुका हूं।

3 जुलाई की शाम को प्रधानमंत्री द्वारा आहूत बैठक न केवल अनोखी सिद्ध हुई और ऐसी भी जो अतीत में कभी देखने को नहीं मिली।

कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्वदलीय बैठक सरकार की आलोचना करने पर सर्वसम्मत हुई है जैसी कि पिछले सोमवार को हुआ।

लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने विचार–विमर्श की शुरुआत की। उनका भाषण खरा और दमदार था। देश एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल चाहता है। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार का जो रूख रहा और संसद को एक किनारे कर दिया गया उसके बचाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रचलित संसदीय प्रक्रिया को दरकिनार कर इसने मामले को उलझा दिया और अपने आपको हंसी का पात्र बना दिया। यह सर्वदलीय बैठक इस मुसीबत में से निकलने का प्रयास दिखती थी।

बैठक में बोलने वाले सभी सांसदों ने भाजपा नेत्री की बात का समर्थन किया। बैठक में अंतिम वक्ता थे राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली।

उन्होंने कहा सरकार ने यहां पर विधेयक के दो प्रारूप हमें दिए हैं – एक टीम हजारे द्वारा तैयार और दूसरा पांच मंत्रियों द्वारा तैयार। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मंत्रियों वाले प्रारूप ने लोकपाल को एक दब्बू सरकारी व्यक्ति बना दिया। जब सरकार ने संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करे तो वर्तमान प्रारूप् को आमूल चूल बदल देना चाहिए। ■

कमल संदेश

क्या न्यायालय विचारधारा के अनुपालन को बाध्य कर सकते है

v#.k tsVyh

Hkkरत के उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को गैर–संवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरूद्ध बताकर रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य और इन्हीं हालात में देश के अन्य भागों में कार्य कर रही विशेष पुलिस अधिकारी संस्था बंद हो जाएगी। विशेष पुलिस अधिकारी उन क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं, जहां पर उपद्रवों से वातावरण को खतरा पैदा हो गया है, ताकि वे अपनी स्वयं की तथा अपने साथी नागरिकों की रक्षा करके नियमित पुलिस के कृत्यों का निवर्हन कर सकें। जम्मू और कश्मीर में यही विशेष पुलिस अधिकारी ही ग्राम रक्षा समितियों का गठन करते हैं जो ग्रामवासियों की विद्रोहियों से रक्षा करती हैं। बगावत के दिनों में पंजाब में भी इसी तंत्र का कारगर ढंग से उपयोग किया गया था। विशेष पुलिस अधिकारी एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें समुदाय के सदस्यों को समुदाय की रक्षा करने हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं। पुलिसमैन हर घर या हर गांव में उपस्थित नहीं रह सकते। जिन क्षेत्रों में विद्रोह के कारण शांति और सुरक्षा भंग होने की आशंका होती है, वहीं पर विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना जरूरी होता है।

पुलिस अधिनियम 1861 में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के प्रावधान हैं। विभिन्न राज्य के पुलिस कानूनों में इस प्रकार के विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के ऐसे प्रावधान हैं। कानूनों की भाषा अलग–अलग हो सकती है। जो लोग भारत की वास्तविक स्थिति से परिचित हैं, वे ऐसे विशेष पुलिस अधिकारियों की उपयोगिता को बखूबी समझते हैं। वे समुदाय की रक्षा के लिए समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। वे आम पुलिस प्रशासन के पूरक हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संकट की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य को अब विशेष पुलिस अधिकारियों से हथियार वापस वसूलने पड़ेंगे। यह स्वयं में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी यह महसूस करता है कि वह माओवादियों की हिट लिस्ट में होगा। उसके पास केवल दो ही विकल्प बचे हैं – या तो वह माओवादियों में शामिल हो जाए या माओवादियों से अपने आप को बचाने के लिए अपने हथियारों को अपने पास ही रखें। बिना राज्य के समर्थन से अथवा अपने–आप की रक्षा के लिए बिना हथियारों के ये विशेष पुलिस अधिकारी अब 'सिटिंग डक्स' बनकर रहेंगे। माओवादियों के विरूद्ध लड़ाई भारत देश के विरूद्ध लड़ाई हो जाएगी। अब माओवादी विशेष पुलिस अधिकारियों को आम माफी देने के लिए शर्तें निर्धारित कर रहे हैं। उनकी बर्खास्तगी से हुए खाली स्थान स्थानीय पुलिस के द्वारा आसानी से नहीं भरे जा सकते।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संकट की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य को अब विशेष पुलिस अधिकारियों से हथियार वापस वसूलने पड़ेंगे। यह स्वयं में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी यह महसूस करता है कि वह माओवादियों की हिट लिस्ट में होगा। उसके पास केवल दो ही विकल्प बचे हैं – या तो वह माओवादियों में शामिल हो जाए या माओवादियों से अपने आप को बचाने के लिए अपने हथियारों को अपने पास ही रखें। बिना राज्य के समर्थन से अथवा अपने–आप की रक्षा के लिए बिना हथियारों के ये विशेष पुलिस अधिकारी अब सिटिंग डक्स बनकर रहेंगे। माओवादियों के विरूद्ध लड़ाई भारत देश के विरूद्ध लड़ाई हो जाएगी।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पढ़ने से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि निर्णय देने वाले की विचारधारा संविधानवाद पर भारी पड़ी हैं। इससे उत्पन्न होने वाला जायज़ प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय संविधान को लागू करते है या वे अपनी विचारधारा के अनुपालन को बाध्य बनाते हैं। माओवादी सुधारक नहीं हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद करना है और भारत में एक साम्यवादी तानाशाही स्थापित करना है। माओवादी

प्रत्येक सुस्थापित लोकतांत्रिक संस्था को बर्बाद करता है। यदि माओवादियों का भारत पर कब्जा हो जाता है, तो निर्णय देने वाला तथा उनकी तरह अन्य विद्वान जज उच्चतम न्यायालय में नहीं रह पायेंगे। न्यायालय पर विचारधारा और माओवादियों की विचारधारा वाले लोगों का नियंत्रण होगा। निर्णय पढ़ने में स्वतः ही बहुत दिलचस्प है। यह विचारधारा सम्बन्धी औचित्य है कि माओवादी क्यों अस्तित्व में हैं और वे अपने हितों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। ऐसा करना उन लोगों की भर्त्सना करना है जो माओवादियों से लड़ते हैं। निर्णय में बताया गया है –

"छत्तीसगढ़ राज्य का दावा है कि उसे अनिश्चित काल के लिए अत्याचार करने, मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन करने का उसी तरीके से, उसी ढंग से अधिकार प्राप्त है, जो माओवादी अपनाते हैं।"

इसमें आगे बताया गया है – "संसाधनों से भरपूर अफ्रीकी उष्ण कटिबंधीय वनों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय शक्तियों की साम्राज्यवादी–पूंजीवादी–विस्तारवादी नीति के द्वारा ब्रुटल आइवरी ट्रेड को बढ़ाने की दृष्टि से जोसेफ कोनार्ड इसे भयावह एवं वीभत्स मनोदशा बताता है और उन व्यक्तियों द्वारा न्यायोचित बताता है, जो बिना औचित्य के शक्ति हासिल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें मानवता और किसी प्रकार के संतुलन का ध्यान नहीं रखा जाता।"

निर्णय में माओवादी विचारधारा को यह बताते हुए उचित बताया गया है–

"लोग किसी राज्य या अन्य लोगों के खिलाफ बिना किसी ठोस कारण या औचित्य के संगठित रूप में हथियार नहीं उठाते। जीवित रहने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए और थॉमस होब्स के अनुसार हमारी आत्मा में अव्यवस्था के डर के रहते हम एक व्यवस्था चाहते हैं। तथापि, जब वह व्यवस्था अमानवीयकरण, कमजोर, गरीब और वंचित लोगों पर सभी प्रकार के अत्याचार ढहाने से आती है, तो लोग विद्रोह करते हैं।"

निर्णय में स्वीकृति के तौर पर "दि डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन" नामक पुस्तक का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है – 'इस प्रकार, उसी प्रकार के मुद्दे, विशेषरूप की राजनीति, हिंसात्मक आन्दोलन की राजनीति तथा सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा मिलता है। क्या भारत में सरकारें और राजनीतिक पार्टियां सामाजिक–आर्थिक डायनीमिक, जो इस प्रकार की राजनीति को प्रोत्साहित करती हैं, को समझने में सक्षम हैं अथवा क्या वे सुरक्षा–उन्मुख रवैया ही अपनाएगी, जो उन्हें और अधिक भड़काता है ?"

निर्णय में बाध्यकारी रवैये की निंदा की गई है, जहां यह बताया गया है –

"इस प्रकार की सलाह, जो हमारे संविधान के अनुरूप है, को मानने के बजाय हमने वर्तमान मामले में जो देखा है, वह बाहुबल और हिंसात्मक स्टेटक्राफ्ट की अपरिहार्यता को बार–बार बताना है। समस्या का असली कारण और उसका समाधान कहीं और है। आधुनिक नव–उदारवादी विचारधारा द्वारा सृजित अनियंत्रित स्वार्थ और लालच की संस्कृति और खपत के निरंतर बढ़ते स्पाइरल्स संबंधी इन झूठे आश्वासनों से कि इनसे आर्थिक विकास होगा और प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान होगा, सामान्य रूप से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से ये अस्थिर परिस्थितियां मजबूत होंगी।"

निर्णय में भारत की कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी गई है। निःसंदेह जजों ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। न्यायालय ने एक विचारधारा बनाई है। इसने आर्थिक नीति का एक पसंदीदा तरीका चुना है। इसने कार्यपालिका के ज्ञान को अपना ज्ञान माना, जिसके तहत माओवाद से कैसे निपटा जा सकता है। निर्णय में शक्तियों को अलग करने के मूल संवैधानिक विशिष्टता को नकारा गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, जो सभी अधीनस्थ प्राधिकरणों के लिए अब बाध्यकारी है, इस प्रकार है – 'राज्य द्वारा संवैधानिक मानदंडों और मूल्यों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करके समर्थित और संबंधित पूंजीवाद का विनष्टकारी रूप प्रायः अतिरिक्त सक्रिय उद्योगों के इर्द–गिर्द गहरी जड़ें लेता है।"

एक विस्तृत वैचारिक चर्चा के बाद न्यायालय ने विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती में खामियां पाई हैं। हालांकि, केन्द्र और राज्य के कानून इस संबंध में विशिष्ट शक्तियां प्रदान करते हैं। इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया है क्योंकि आदिवासियों में कम शिक्षित युवाओं को ये नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना गया है क्योंकि विशेष पुलिस अधिकारियों की शैक्षिक योग्यता कम है और उनसे माओवाद से लड़ने के खतरे को समझने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे विशेष पुलिस अधिकारियों को नौकरी देने से उनका जीवन और अन्य लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है और इस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस कठिन कार्य को करने के लिए मानदेय का भुगतान किया जाना उनकी नियुक्तियों को रद्द करने का एक अन्य कारण है।

यदि न्यायालय ने मानदेय को

अपर्याप्त माना है तो वह और अधिक मानवीय मानदेय दिए जाने के लिए निर्देश दे सकता था। यदि न्यायालय ने यह पाया कि विशेष पुलिस अधिकारी बनने के लिए शैक्षिक योग्यताएं अपर्याप्त हैं, तो वह राज्य को एक ऐसी नीति बनाने का निर्देश दे सकता था ताकि उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए।

न्यायालय ने यह महसूस नहीं किया कि विशेष पुलिस अधिकारियों सहित आम नागरिकों के जीवन को माओवादियों से खतरा है। उनका जीवन और स्वतंत्रता पहले से ही खतरे में है। विशेष पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध सुविधा से वे अपने आपको और अन्य लोगों को माओवादी हमले से बचा सकते थे। परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण इसका फायदा माओवादियों को मिला है।

निर्णय को पढ़ने से निःसंदेह यह पता चलता है कि असंवैधानिकता के आधार पर विशेष पुलिस अधिकारियों की संस्था को समाप्त करने के कारण कमजोर हैं। निर्णय का औचित्य विचारधारा है न कि संविधान। जब कोई न्यायालय एक विचारधारा बना लेता है तो वह एक नीति बनाना तय कर लेता है। वह शक्तियों को अलग करने के संवैधानिक आदेश को नहीं मानता। वह विधानमंडल और कार्यपालिका के क्षेत्र में दाखिल हो जाता है। इस निर्णय में बताए गए औचित्य से संवैधानिक संतुलन बिगड़ गया है। यदि किसी जज की विचारधारा संवैधानिकता तय करती है, तो जज का सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शनशास्त्र प्रासंगिक हो जाता है। जब किसी जज का सामाजिक दर्शनशास्त्र प्रासंगिक हो जाता है तो यह आपको आपातकाल लगाए जाने के पूर्व के दिनों की याद दिलाता है। यदि न्यायपालिका संविधान की जगह सामाजिक–राजनीतिक विचारधारा के प्रति वचनबद्ध हो जाए तो न्यायिक स्वतंत्रता को इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं है। भारत की राजनीतिक प्रक्रिया और संसद को इस निर्णय के परिणामों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ■

ट्रेन हादसों के लिए प्रधानमंत्री हैं जिम्मेदार : नड्डा

Hkkजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रवक्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 जुलाई, 2011 को कहा कि पिछले दिनों जो दो रेल दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, इस दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति भाजपा संवेदना व्यक्त करती है और रेलवे की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। भाजपा मानती है कि यूपीए–I और यूपीए–II के कार्यकाल में गठबंधन राजनीति और मंत्रियों के गैर–जिम्मेदाराना रवैये के कारण रेल मंत्रालय की स्थिति अनाथ जैसी हो गई। यूपीए–I के दौरान रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने आधुनिकीकरण के साथ–साथ रेलवे के भारी मुनाफे की जानकारी दी थी।

वे मैनेजमेंट गुरू भी बने। लेकिन ममता बनर्जी ज्यों ही रेल मंत्री बनीं उन्होंने श्री लालू प्रसाद यादव के सारे दावों की हवा निकाल दी। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में रेलवे के साथ जो मजाक हुआ है वह रेलवे और रेल यात्रियों, दोनों के लिए असहनीय है।

उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में जस्टिस एच आर खन्ना के नेतृत्व में गठित रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी ने रेलवे सुरक्षा के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दो हजार करोड़ अतिरिक्त रकम के साथ रेलवे सुरक्षा के लिए 17,000 करोड़ रुपये का फंड रेलवे को आवंटित कराया। सुरक्षा संबंधी आधारभूत सुविधाओं के तहत 17,000 किमी ट्रैक को पुनर्नवीकृत करने, तीन हजार ब्रिज के पुनर्निर्माण तथा लगभग 950 स्टेशन के सिग्नलिंग गियर्स को बदलने की योजना थी। दुख की बात यह है कि मैनेजमेंट गुरू ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन अहम बिंदुओं को निरस्त कर दिया। वहीं, रेल मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी विजन 20–20 लेकर आईं लेकिन उनका ही विजन कहीं और था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो भारतीय रेल की बदतर स्थिति हुई है, वह दीर्घकालीन योजना के अभाव में हुई है और प्रधानमंत्री इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। 2जी स्पेक्ट्रम का घोटाला एक सहयोगी दल का मामला (एलाईड अफेयर) है जिसमें लाखों– करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान देश को हुआ। सहयोगी दल मामले की शिकार रेलवे भी हुई है जिसमें कई निर्दोष यात्रियों को अपनी जान गवांनी पड़ी है। गठबंधन का मतलब यह तो नहीं कि इसकी बिसात पर लाखों लोगों की जान ले ली जाए। गौरतलब है कि रेलवे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं।

हमारा मानना है कि वर्तमान में रेल विभाग लावारिस, अनाथ और बिना देखरेख वाला हो चुका है। अतः शीघ्र ही रेलवे पर ध्यान दिया जाए और एनडीए के समय जो सेफ्टी फंड लागू हुआ था, उसे पुनः कार्यान्वित किया जाए। ■

राज्यों के भरोसे योजनाएं

olqUèkjk jkts

jkष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) मुझे चिंता में डाल देती है क्योंकि इसके नाम में सलाहकार शब्द जुड़ा है। इससे इतर संवैधानिक सलाहकार समितियां सामान्यतया चिन्ता का कारण नहीं होतीं क्योंकि उनकी सिफारिशों पर संवैधानिक रूप से बनी सरकार निर्णय करती है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी ताकतवर है क्योंकि इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। वास्तव में इसका नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति की जगह दिशा–निर्देश समिति होना चाहिए क्योंकि केबिनेट या किसी मंत्रालय को इतना ही विवेकाधिकार बचा है कि एनएसी के निर्देश या सुझाव को कैसे अमल में लाया जाए?

मेरी दूसरी चिन्ता ये है कि इस सलाहकार समिति के दिशा–निर्देश राजकोषीय संघीय ढांचे को और आघात पहुंचाएंगे। हालांकि एक अन्य शक्तिशाली संवैधानिक संस्था योजना आयोग की राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता को क्षति पहुंचाने की शक्ति सीमित है लेकिन उसमें भी क्षरण होना विचारणीय है। योजना आयोग की सीमा इसलिए है क्योंकि उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एनएसी के मामले में कोई नियंत्रण या संतुलन नहीं है। एनएसी की अध्यक्ष प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए इस समिति के सुझाव भी आदेश होते हैं। एनएसी की निरंकुश शक्ति का राज्यों के वित्तीय मामलों से कैसा सम्बन्ध है या फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे समझने के लिए केन्द्र के क्रिया–कलापों पर नजर डालनी होगी। पिछले कुछ दशकों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और केन्द्रीय सहायता योजनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। योजना आयोग की वेबसाइट के अनुसार इस समय 210 से अधिक केंद्र प्रवर्तित योजनाएं चल रही हैं। इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली के अनुमान के अनुसार इन योजनाओं के लिए वर्ष 2005–2006 में 56,000 करोड़ रूपए से अधिक की जरूरत थी। 2010–11 में यह राशि बढ़कर दो लाख करोड़ तक पहुंच गई है। केन्द्र द्वारा अधिकार देने वाली योजनाएं शुरू करने से समस्या और बढ़ गई है।

> ***राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) मुझे चिंता में डाल देती है क्योंकि इसके नाम में सलाहकार शब्द जुड़ा है। इससे इतर संवैधानिक सलाहकार समितियां सामान्यतया चिन्ता का कारण नहीं होतीं क्योंकि उनकी सिफारिशों पर संवैधानिक रूप से बनी सरकार निर्णय करती है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी ताकतवर है क्योंकि इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। वास्तव में इसका नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति की जगह दिशा–निर्देश समिति होना चाहिए क्योंकि केबिनेट या किसी मंत्रालय को इतना ही विवेकाधिकार बचा है कि एनएसी के निर्देश या सुझाव को कैसे अमल में लाया जाए?***

1969 में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद ने तय किया था कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जा रही सहायता का 5/6 भाग नार्मल सेंट्रल असिस्टेंस (एनसीए) के तहत आएगा ताकि राज्य सरकारें अपने अनुसार योजनाएं चला सकें। 2005–06 आते–आते स्थिति बदल गई। उस साल एनसीए (12,000 करोड़ रूपए) थी जो कुल सहायता (72000 करोड़ रूपए) का लगभग 1/6 थी। फिलहाल 2010–11 में यह और घटकर 1/10 भाग (22,000 करोड़) रह गई जबकि कुल योजना व्यय दो लाख करोड़ रूपए) है! केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए इतना धन आता कहां से है? यह उन राज्य सरकारों की जेब से आता है, जिन्हें केन्द्रीय करों का संविधान द्वारा प्रदत्त हिस्सा नहीं मिल रहा है। लोक वित्त के प्रति यह उदासीनता राजनेताओं और बौद्धिक लोगों, दोनों के ही बीच है जो देश के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। इसे विस्तार से बताने के लिए मैं एक क्षण का समय लूंगी...।

केंद्र सरकार उन सभी वस्तुओं पर कर वसूलती है जो सूची 1 (केंद्रीय सूची) में शामिल हैं और राज्य सरकारें उन पर कर वसूल करती हैं जो सूची 2 (राज्य सूची) में शामिल हैं। राज्य सरकारें बहुत थोड़ी सी वस्तुओं पर अल्प मात्रा में कर (विशेषकर वैट, संपत्ति हस्तांतरण कर और आबकारी शुल्क) वसूल पाती हैं जबकि केंद्र सरकार के पास कर के बड़े स्रोत (जैसे एक्साइज, आयात शुल्क और आयकर)

हैं। फलतः केन्द्र का राजस्व सभी राज्यों के कुल राजस्व से दो गुणा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009–10 में सभी राज्यों की कुल राजस्व प्राप्ति 3,66,500 करोड़ रूपए थी, जबकि केन्द्र की प्राप्तियां 6,40,000 करोड़ रूपए थी।

केन्द्रीय करों पर केवल केन्द्र का हक नहीं है। संविधान के अनुसार यह साझा पैसा है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसकी धारा 3 (अ) में कहा गया है कि वित्त आयोग करों से होने वाली आय का केन्द्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे के सम्बन्ध में सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा। ऐसे में केन्द्र की ओर से वसूले गए करों पर मात्र केन्द्र का हक नहीं है। वित्त आयोग द्वारा तय होने वाला हिस्सा ही उसका है। वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के तहत दी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए केन्द्र द्वारा खर्च का आकलन करे। इस खर्चे के अतिरिक्त बचने वाली आय राज्यों के बीच एक फार्मूले के तहत बंटनी चाहिए। यह फार्मूला भी वित्त आयोग को ही बनाना है। यह जरूर है कि राज्यों को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर खर्चीली योजनाएं चलाना तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब केन्द्र के बड़े मंत्रालय ही वे बन गए हैं जिनके विषय राज्यसूची में शामिल हैं। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, सामाजिक आधिकारिता, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा इसके उदाहरण हैं। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर गए दो–तिहाई आईएएस अफसर इन्हीं मंत्रालयों में लगे हैं।

भले ही केन्द्रीय करों पर केंद्र सरकार का पहला अधिकार नहीं हो लेकिन राज्यों को इसका कितना हिस्सा मिलेगा, इस मामले में वह स्वछन्द है। केन्द्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है और उसकी रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से उसकी सिफारिशों की व्याख्या करती है। बारहवें वित्त आयोग के समय हम यह भुगत चुके हैं। वित्त आयोग को राज्यों को मिलने वाला हिस्सा तय करने से पहले केन्द्रीय योजना को बजटीय सहयोग (जिसका कि सिर्फ 10 प्रतिशत ही अनटाइड एनसीए के तहत राज्यों को मिलता है) सहित केन्द्र की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। देखा जाए तो केन्द्र द्वारा मांगी गई निधि का अधिकतर भाग 210 से अधिक केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए होता है। दिल्ली से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए केन्द्रीय करों का अधिकतर हिस्सा केन्द्र सरकार को मिलने के बाद राज्यों के लिए सिर्फ तीस प्रतिशत ही बचता है। ऐसे में, जो धन राज्यों के पास जाना चाहिए, उसे केन्द्र सरकार हथिया लेती है। वह भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चलाने के नाम पर जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं। दरअसल, जिन योजनाओं पर केन्द्र और उसके अधिकारी गर्व करते हैं और जिन्हें राज्यों पर अहसान की तरह पेश किया जाता है, वे सभी योजनाएं राज्यों के पैसे से ही चलती हैं। राहुल गांधी ने बिहार में जनसभाओं के दौरान गर्व के साथ गिनाया था कि केन्द्र सरकार ने बिहार को कितना पैसा दिया है। वह यही धन था जिस पर केन्द्र की जगह राज्य का हक है। ■

(लेखिका राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं)
(राजस्थान पत्रिका से साभार)

भोपाल (म.प्र.)

पी चिदम्बरम को देना चाहिए त्यागपत्र : डॉ. जोशी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पं. दीनदयाल परिसर में पत्रकार बंधुओं से चर्चा करते हुए कहा कि गृहमंत्री पी. चिदम्बरम का बयान ''मुंबई के हमलों की जानकारी खुफिया तंत्र को नहीं होने के कारण यह घटना हो गई'' यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है उनके विभाग के पास कई सुरक्षा एजेंसियां, सेना सुरक्षा, विशेष सुरक्षा एवं आईबी सहित कई खुफिया एजेंसिया है लेकिन उसके बाद भी उनका यह कहना देश के खुफिया तंत्र को कमजोर बताता है। सुरक्षा को लेकर उनकी कोई भी ठोस तैयारी नहीं है। गृहमंत्री का बयान इच्छाशक्ति और प्रशासन तंत्र की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि पी. चिदम्बरम हर मोर्चे पर असफल रहे है। 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भी वे इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने घोटाला होने दिया और इस मामले को दबाने की कोशिश की। केजी घोटाले में अफसर, मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री सभी जांच के घेरे में थे। यहां तक कि इसकी जांच रिपोर्ट भी महालेखा और नियंत्रक ने सरकार को सौंप दी थी और इन क्षेत्रों का ऑडिट करना स्वीकार किया था। जांच रिपोर्ट के बाद भी सरकार ने उस रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं किया। इस मामलें में चिदम्बरम की भूमिका 2–जी स्पेक्ट्रम की तरह संदेहास्पद है। इन सभी मामलों में सीबीआई और आईबी जांच करें। साथ ही पीएम को भी चिदम्बरम से त्यागपत्र ले लेना चाहिए, क्योंकि चिदम्बरम का वित्त मंत्री और गृहमंत्री कार्यकाल बहुत खराब रहा है। ■

यूपीए आतंकवाद से लड़ने की इच्छाशक्ति ही नहीं रखती : रविशंकर प्रसाद

आतंकवादियों ने फिर एक बार मुम्बई में अनेकानेक लोगों की हत्याएं की और आहत कर दिया। पूरे राष्ट्र पर विक्षोभ और संकट छा गया है और इस पर यह भय हावी हो रहा है कि न जाने कब अगला हमला हो जाए। आज तो आम आदमी भी बड़े दुख से पूछ रहा है कि आखिर यह कब तक चलता रहेगा और सरकार क्यों नहीं पहले से सकारात्मक और निवारक उपाए करती है? स्पष्ट है कि आतंकवाद के कैंसर से लड़ने के लिए दृढ़ता और कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। भाजपा हर तरह से सरकार का समर्थन करेगी यदि वह आतंकवादियों और सीमापार से उनके संरक्षकों के खिलाफ हमले से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने सभी आवश्यक साधनों का प्रयोग करते हुए दृढ़ कार्रवाई करे। किन्तु, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि क्या यूपीए सरकार के पास इसके लिए आवश्यक दृढ़ इच्छाशक्ति है भी या नहीं? अभी तक जितने भी संकेत मिल रहे हैं, जिनमें सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बीच आम सहमति भी न हो पाना, इस सम्बन्ध में विक्षुब्ध प्रश्न ही खड़े कर रही है? मुम्बई में 2008 के 26/11 हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जितने भी उपायों की घोषणा की गई, उनसे यही पता चलता है कि ये सभी भ्रामक रहे और कागजों तक सीमिति रहे।

यदि हम भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो भाजपा निम्नलिखित कुछ सवाल करना चाहती है, जिनके जवाब इस सम्बन्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण है:

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कल मुम्बई में कहा था कि सरकार अपनी पूरी शक्ति से ऐसे सभी उपाए करेगी जिनसे भविष्य में इस प्रकार के हमले न हो पाएं। न जाने प्रधानमंत्री किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं जबकि उसी दिन उनके गृह मंत्री श्री

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 15 जुलाई को जारी प्रेस वक्तव्य

पी. चिदम्बरम ने मुम्बई में ही स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि "भारत के सभी शहरों पर हमला संभव है।" क्या ये दावे एक ही पृष्ठ पर नहीं छपे थे?

देश कैसे इस आश्वासन पर ऐतबार करेगा जब हम देखते हैं कि सरकार ने अभी तक पुणे के 13 फरवरी 2010 के जर्मन बेकरी विस्फोट (जिनमें 17 लोग मारे गए), आईपीएल मैच (17 अप्रैल 2010) से तुरंत पहले बंगलौर क्रिकेट स्टेडियम के निकट दो विस्फोट, जामा मस्जिद के निकट गोलीबारी (19 सितम्बर 2010), 7 दिसम्बर 2010 को दशाश्वमेध घाट, वाराणसी में विस्फोट (जिसमें दो लोग मारे गए), और दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर 25 मई 2010 को हुए विस्फोट के बारे में न तो षड्यंत्र का पता चल पाया है, न ही कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही इन सभी विस्फोटों के आकार प्रकार का समाधान हो पाया है। यदि ये हाल के हमले अनसुलझे रहते हैं तो किस आधार पर प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि भविष्य मे किसी आतंकवादी हमले को रोका जाएगा। कोई बताए तो सही कि आखिर इण्डियन मुजाहिद्दीन और सिमी के कितने माड्यूल और उनके संरक्षकों को हमने पिछले चार वर्षों में तबाह किया है? प्रधानमंत्री जी, क्या आतंकवाद मात्र एक कानून–व्यवस्था की समस्या है या स्वयं भारत पर हमला है?

कल ही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने मुम्बई में कहा था कि खुफिया एजेंसियों ने पहले से सतर्क नहीं किया था। यहां यह भी स्मरण रखना होना कि जब खुफिया एजेंसियों ने 26/11 मुम्बई आतंकवादी हमले से पूर्व पाकिस्तान की ओर से समुद्र में एक संदिग्ध जहाज के आने की संभावना के बारे में निश्चित जानकारी भी दी थी तब भी इस सम्बन्ध में कोई निवारक उपाए नहीं किए गए। फिर भी, देश को यह जानने का हक है कि खुफिया एजेंसियों ने देश को सतर्क क्यों नहीं किया।

आंतरिक सुरक्षा से जुडी भारतीय खुफिया एजेंसियों का व्यावसायिक रूप से उत्कृष्ट रिकार्ड है। इसे बड़े व्यावसायिक क्षमता वाले पुलिस और सुरक्षा अधिकारी चलाते हैं। यदि ऐसा होने के बावजूद भी देश की खुफिया एजेंसियां सतर्क नहीं कर पाती हैं तो

इसके पीछे कहीं यह तथ्य तो नहीं है कि आईबी और अन्य एजेंसियों को हाल में राजनैतिक दबाव में उनका इस्तेमाल गैर–यूपीए सरकारों और यहां तक कि वरिष्ठ मंत्रियों की निगरानी जैसे राजनैतिक उद्देश्यों सम्बन्धी गैर–सुरक्षा कार्यों में लगाया जाता है?

क्या यह सच नहीं है कि विशुद्ध वोट बैंक के राजनैतिक अभियान एवं यूपीए सरकार का साथ न देने वालों के सप्रयोजन उत्पीड़न के भय के कारण खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने आतंकवादियों तथा उनके संरक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार की सक्रिय कार्रवाई करने में हिचकिचाहट दिखाई है? आइए, हम इस कटु सत्य को स्वीकार कर लें। बटाला हाउस मुठभेड़ में इण्डियन मुजाहिद्दीन के कुछ आतंकवादी मारे गए थे। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया गया था, जिसमें यूपीए के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल थे।

श्री दिग्विजय सिंह आजमगढ़ में आतंकवादियों के परिवारों से मिलने गए और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निंदा की थी। परन्तु यह तो वीर पुलिस अधिकारी मोहन शर्मा था, जो आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था और श्री शर्मा को पुरूस्कार में अशोक चक्र दिया गया था जिसके कारण ही उन सुरक्षा बलों को प्रोसीक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा जिन्होंने उसे मुठभेड़ में भाग लिया था।

ऐसा कैसे होता है कि यदि गैर–यूपीए राज्य सरकारों में मामूली सी भी घटना होने पर गृह मंत्रालय तुरंत ही दावा करने लगता है कि खुफिया एजेंसियों ने पहले से सूचना दे दी थी, परन्तु भारत की आर्थिक राजधानी में आतंकवादी हमला होने पर भी खुफिया चौकसी नदारद रहती है। क्या हम संदेह कर सकते हैं कि यह सब कुछ महाराष्ट्र की कांग्रेसनीत सरकार को बचाने का प्रयास तो नहीं है?

भाजपा सरकार से जानना चाहेगी कि वह उस एनसीटीसी के गठन के बारे में बताए जिसकी घोषणा सरकार ने मुम्बई में 26 नवम्बर 2008 को आतंकवादी हमले के बाद की थी? उस नेशनल इन्टेलिजेंस ग्रिड के प्रस्ताव का क्या हुआ, जिसको विभिन्न एजेंसियों से इकट्ठा करना और इंटेलिजेंस के साथ मिलान करना था? सभी उपलब्ध संकेतों से पता चलता है कि यह सभी निर्जीव पड़े हैं और इसे बारे में रस्साकसी चल रही है।

आज देश में पिछले अनेक वर्षों से साम्प्रदायिक सौहार्द होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि श्रीमती सोनिया गांधी के कुछ खास सलाहकार (जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार कर रही है) एक बेहद खतरनाक और भेदभावपूर्ण 'प्रिवेंशन आफ कम्युनल बिल' ला रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा बार–बार मांग करने पर भी आतंक के खिलाफ व्यापक कानून लाने को सरकार तैयार नहीं है।

आज देश में पिछले अनेक वर्षों से साम्प्रदायिक सौहार्द होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि श्रीमती सोनिया गांधी के कुछ खास सलाहकार (जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार कर रही है) एक बेहद खतरनाक और भेदभावपूर्ण 'प्रिवेंशन आफ कम्युनल बिल' ला रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा बार–बार मांग करने पर भी आतंक के खिलाफ व्यापक कानून लाने को सरकार तैयार नहीं है।

पाकिस्तान के सम्बन्ध-

यूपीए सरकार की नीति उस पाकिस्तान के साथ क्या है जो विश्व आतंकवाद का केन्द्र है और जहां से भारत के खिलाफ अधिकांश आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं इसकी योजना बनती है और आईएसआई तथा सेना के तत्वों को संरक्षण मिलता है? पाकिस्तान के आतंकवादियों की सहभागिता के बारे में बार–बार प्रमाण देने के बावजूद भी पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता है फिर भी डॉ. मनमोहन सिंह उससे बात करने की जिद पर अड़े हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह एक मूलभूत गलती कर रहे हैं जिसके लिए पूरे देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और यह कीमत आगे भी चुकानी पड़ती रहेगी कि वह पाकिस्तान और इसकी काउण्टर–टेररिज्म रणनीति के बारे में अलग नीति बनाकर चल रहे हैं। जबकि ये दोनों ही एक है। कटु सत्य यही है कि आतंकवादी और उनके संरक्षक भारत को एक नर्म देश मानकर अपना लक्ष्य बना रहे हैं क्यों कि इससे पाकिस्तान को कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती है। पाकिस्तान जानता है कि उन पर गम्भीरता से कुछ कार्रवाई नहीं होगी और होगी भी तो भी वोट बैंक की राजनीति को बचा लेगी।

यदि गृह मंत्री कहते हैं कि भारत के सभी शहरों पर हमला संभव है तो भाजपा जानना चाहेगी कि गृहमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे ही क्यों हैं? ■

चन्द्रशेखर आजाद जयंती पर ''आजाद मेला'' आयोजित

'भाजपा आदिवासी हितों के लिए समर्पित'

Hkkरतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित 23 जुलाई को युवाओं के प्रेरणास्रोत, क्रांतिकारी, शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली भाबरा में आजाद युवा मेले का उदघाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविंद मेनन ने किया। श्री प्रभात झा ने युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वीरों ने अपना बलिदान देकर देश को आजाद किया, परन्तु कांग्रेस ने 60 सालों में शहीदों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि आजाद की मिट्टी को राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास एवं सभी मंत्री, सांसदों एवं विधायकों के यहां पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, कालेधन और मंहगाई के साथ ही अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शहीद चन्द्रशेखर आजाद के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भाबरा में बहुत कुछ किया है। बोहरा समाज के युवा एकजुट होकर यहां आये है यह आजाद की पूण्यभूमि की माटी का कमाल है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में जो अतुलनीय योगदान आदिवासी क्रांतिकारियों का रहा है उसको भूलाया नहीं जा सकता है। टंट्या भील, चन्द्रशेखर आजाद, भीमानायक जैसे अनेक आदिवासी वीर सपूत इसी माटी की देन है। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आदिवासियों के उत्थान और विकास को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। आज शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पवित्र भूमि भाबरा की माटी का तिलक कर आदिवासियों के कल्याण का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि हिन्दुस्तान में आजादी का इतिहास सही ढंग से नही पढाया गया। प्रदेश सरकार ने यहा शहीदों के शहादत को लेकर अनेक कार्य किये है। आज आदिवासी युवाओं मे भी जाग्रति आई और उनमें आगे बढने की ललक पैदा हुई है। उन्होने कहा कि भाबरा का नाम बदलकर चन्द्रशेखर आजाद नगर रखने के लिए उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव काफी पहले भेज दिया है, लेकिन केन्द्र सरकार आज तक उस प्रस्ताव पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पायी है। श्री शिवराजसिंह चौहान ने घोषणा की कि जल्द ही भाबरा में महाविद्यालय खोला जावेगा। चन्द्रशेखर आजाद, भीमा नायक और तात्या भील की स्मृति में 1 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जावेगा। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू जिराती ने भी सम्बोधित किया।

आजाद मेले मे धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले के बरसते पानी मे भी 1 लाख से अधिक आदिवासी युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी को माटी कलश वितरित किये गये। कार्यक्रम का संचालन रजनीश अग्रवाल एवं आभार प्रदर्शन सत्यनारायण सत्तन ने किया। इस अवसर पर भाजपा अनूसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी एवं मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे। ■

भाजपा ही उड़ीसा में एक मात्र विकल्प : वेंकैया नायडू

gekjs laoknnkrk }kjk

Dयोंकि श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में सत्ताधारी बीजेडी की दिन–प्रतिदिन लोकप्रियता घटती जा रही है और कांग्रेस की वापसी राज्य में होना संभव ही नहीं रहा है, इसलिए भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो उड़ीसा राज्य में विकल्प के रूप में राजनैतिक शून्यता को भर सकती है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने कटक के शहीद भवन में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन के अवसर पर 21 जुलाई को अपने उद्‌बोधन में कही।

किन्तु साथ ही वेंकैया नायडू ने यह कहते हुए पार्टी नेताओं को चेतावनी भी दी कि ''राज्य में इस शून्यता को भरने के लिए कार्यकर्ताओं के सामने यह बड़ी चुनौती है; वे तभी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे जब वे इसके लिए अत्यंत कठोर परिश्रम करेंगे।

श्री नायडू ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी देश को आहत करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार और महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे देश के लोग बुरी तरह से आहत है। इन सभी कष्टों की जड़ में कांग्रेस पार्टी ही उत्तरदायी है।

श्री नायडु के आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी तो उड़ीसा में इतनी अधिक लोकप्रियता खो बैठी है कि वह तो फिर से इस राज्य में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेडी राज्य में डूबती चली जा रही है क्योंकि समय–समय पर बीजेडी नेताओं के घोटालों में शामिल होने की बात लोगों के सामने आती चली जा रही है।

कांग्रेस और बीजेडी की कड़ी आलोचना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और यही एक पार्टी है जहां मामूली पार्टी कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारी पार्टी मिशन लेकर काम करती है और इसीलिए भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो 'देश प्रथम' के आधार पर लोगों की सेवा करती है।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय सचिव और उड़ीसा के प्रभारी श्री संतोष गंगवार ने दीप प्रज्जवलित कर उद्‌घाटन किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जुआल ओराम ने बैठक का उद्‌घाटन करते हुए केन्द्र में कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार तथा राज्य में बीजेडी सरकार दोनों पर ही भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि ये दोनों ही मिलीभगत से उड़ीसा में 'पोस्को' और 'वेदांता' जैसी प्राइवेट परियोजनाओं को सभी कानूनी नियमों को ताक पर रख कर बढ़ावा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एमओईएफ की मंजूरी में हेराफेरी दिखाई पड़ती है जिसमें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री ए. राजा, उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक शामिल हैं।

श्री ओराम ने कहा कि भाजपा बहुत शुरू से ही जब वह राज्य सरकार में बीजेडी के साथ सहयोगी दल थी,

तभी से उड़ीसा में 'पोस्को' और 'वेदांता' दोनों परियोजनाओं का विरोध करती आ रही है।

श्री जुआल ओराम ने श्री नवीन पटनायक के खिलाफ भाजपा द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आरोप पत्र में ''प्रमुख आरोप'' है, जिसे इस वर्ष मई माह में जारी किया था। इसमें उल्लेखित आरोपों का सम्बन्ध अवैध खनन, कोयला, दाल, नरेगा, जल, वनभूमि, श्री जगन्नाथ मंदिर भूमि, पुलिस अत्याचार, माओवादी खतरों आदि से है।

इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने सम्बोधन में कहा कि श्री नवीन पटनायक नीत बीजेडी सरकार ने राज्य के लोगों का सिर नीचा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग राज्य के खजाने की लूट को भलीभांति समझते हैं और वे आने वाले दिनों में श्री नवीन पटनायक को करारा जवाब देंगे।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री विजय महापात्र ने कहा कि हाल ही में गंजम जिले के कोडाला के पुलिस गोलीबारी में चार निर्दोष लोगों के प्राण चले जाने की घटना में अवांछित ''पुलिस गोलीबारी पर न्यायिक कमीशन स्थापित किया जाना चाहिए। इसकी जांच उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान जज द्वारा कराई जानी चाहिए।

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री संतोष गंगवार के अलावा भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सूरमा पाढ़ि, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री विजय महापात्र, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सुरेश पुजारी, भाजपा नेता के.वी. सिंह देव, वरिष्ठ नेता श्री विश्वभूषण हरिचंदन और राज्य सभा सांसद श्री रूद्र नारायण पाणि तथा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया जिनमें आमंत्रित पदाधिकारी एवं जिलास्तर के कार्यकर्ता भी थे। ■

दो दिवसीय गुजरात प्रदेश कार्यसमिति की बैठक : वडोदरा

भाजपा नेतृत्व देश को निराशा के वातावरण से बाहर निकालेगा : मोदी

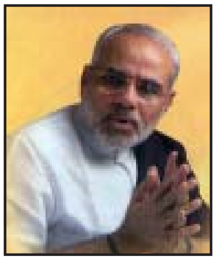

दो दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक गुजरात में वडोदरा में सम्पन्न हुई। बैठक के पहले दिन गुजरात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री आरसी फाल्दू ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को 2012 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे अगले लोकसभा चुनावों में यूपीए सरकार को धराशायी करने के प्रस्तावित राष्ट्रीय अभियान के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य में भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए तथा 2014 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए उसकी भ्रष्ट नीतियों का पर्दाफाश करना चाहिए।

गुजरात के पार्टी प्रभारी श्री बलबीर पुंज ने कहा– ''मोदी के नेतृत्व में सरकार के कार्यों से देश में आशा और जन–आकांक्षाएं फलीभूत हुई हैं और गुजरात देश का एक मॉडल बन कर सामने आया है।

प्रदेश भाजपा ने ऐसे अनेक प्रस्ताव पारित किए जिनमें यूपीए सरकार को आवश्यक वस्तुओं की अत्यंत तेजी से बढ़ती महंगाई, विभिन्न प्रकार के घोटालों और देश से आतंकवाद खत्म करने में उसकी विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री बालकृष्ण शुक्ला और गुजरात के भाजपा प्रवक्ता आईपी जडेका ने कहा कि गुजरात के विभिन्न भागों से आए 400 सदस्य बैठक में भाग ले रहे हैं।

बैठक की पूर्व संध्या पर पूर्व मंत्री और हलोल से कांग्रेसी विधायक उदय सिंह वाड़िया, पूर्व मंत्री श्री यशपाल सिंह तथा जेडीयू नेता तथा पूर्व वडोदरा उप–पौर शैलेश मेहता भाजपा में शामिल हो गए।

बैठक के अंतिम दिन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''यह हमारा दृढ़ और एकजुट प्रयास होना चाहिए कि हम केन्द्र के साथ अपने संघर्ष में भाग लें, जो (गुजरात सरकार के बारे में) झूठी बातें फैला रहा है।''

उन्होंने आगे कहा कि ''हमारी राज्य सरकार ने अनेकों मुद्दों पर नवीन दृष्टिकोण अपना कर दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।'' उन्होंने यूपीए सरकार की मुद्रास्फीति तथा विभिन्न घपले–घोटालों जैसे मामलों पर कड़ी आलोचना की।

श्री मोदी ने कहा– ''भाजपा का नेतृत्व लोकतांत्रिक ढंग से देश में फैली निराशा के वर्तमान वातावरण को परिवर्तित करने में समर्थ है। देश के लोग अनेकों राजनैतिक दलों के आचरण तथा कार्यों से निराश हैं और गुजरात के भाजपा कार्यकर्ताओं को देश के भविष्य सुधार अभियान के लिए तैयार रहना होगा।''

उन्होंने अंत में कहा कि इस वर्ष राज्य के 225 तालुकाओं में 600 करोड़ रुपए से ''अपनो तालुको, वाइब्रेंट तालुको'' कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में उठाया गया सही कदम है। ■